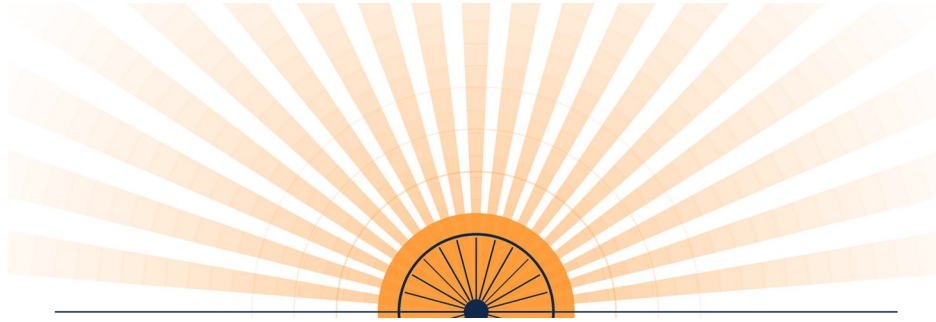




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“अवलोकन के क्षेत्र में संयोग केवल तैयार मस्तिष्क का ही साथ देता है।”

— लुई पाश्चर, लील विश्वविद्यालय में व्याख्यान (7 दिसंबर 1854)

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 8 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 8 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“हम, जहाँ तक संभव हो, परस्पर विरोधी खेमों की उस सत्ता-राजनीति से दूर रहना चाहते हैं जो अतीत में विश्व-युद्धों का कारण बनी और जो भविष्य में और भी बड़े पैमाने के विनाश का कारण बन सकती है।”

— जवाहरलाल नेहरू • प्रसारण “Free India's Role in World Affairs”, नई दिल्ली (7 सितंबर 1946), अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में उपयोग करें (Use in): आज की वायुसेना की चेतावनी कि अमेरिकी इंजन आपूर्तिकर्ता के कारण तेजस में देरी हो रही है, और विद्यार्थियों के कार्य-परमिट पर \$70,000 शुल्क का अमेरिकी प्रस्ताव। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में गुटनिरपेक्षता, सामरिक स्वायत्तता और बहु-संरक्षण पर, तथा सामान्य अध्ययन-3 में रक्षा स्वदेशीकरण पर कीजिए: स्वायत्तता के लिए केवल गुटों से कूटनीतिक दूरी नहीं, इंजन, टीके और चिप देश में बनाने की क्षमता भी चाहिए। “जहाँ तक संभव हो” शब्दों पर ध्यान दीजिए: नेहरू का सिद्धांत एक वरीयता था, अलगाव की शपथ नहीं। संतुलन भी रखिए: आज का भारत एक साथ अनेक शक्तियों से साझेदारी करता है, और GE F414 का लाइसेंस-प्राप्त उत्पादन ऐसी साझेदारी है जो वास्तविक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो तो स्वायत्तता गढ़ सकती है।

“जब आप जिस विषय पर बोल रहे हों उसे माप सकें और संख्याओं में व्यक्त कर सकें, तब आप उसके बारे में कुछ जानते हैं; पर जब आप उसे माप न सकें, संख्याओं में व्यक्त न कर सकें, तब आपका ज्ञान अधूरा और असंतोषजनक होता है।”

— लॉर्ड केल्विन (विलियम थॉमसन) • “Electrical Units of Measurement”, इंस्टीट्यूशन ऑफ़ सिविल इंजीनियर्स, लंदन में व्याख्यान (3 मई 1883); Popular Lectures and Addresses, खंड I
उपयोग करें (Use in): आज की WWF जीवित ग्रह रिपोर्ट (निगरानी वाली आबादियों में औसतन 73% गिरावट) और बीज-उद्योग का वह अध्ययन जिसमें भारत के कपास-क्षेत्र के 24-30% पर अस्वीकृत शाकनाशी-सह गुण बताए गए हैं। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-3 के उत्तरों में जैव विविधता की निगरानी, जीएम फ़सल विनियमन और साक्ष्य-आधारित नीति पर कीजिए: भारत बाघ, तहर और गिरधू अच्छी तरह गिनता है, पर अवैध बीज का कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं है। संतुलन भी रखिए: संख्याओं को सही ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि 73% प्रवृत्तियों का औसत है, 73% जानवरों का नुकसान नहीं; और किसी इच्छुक पक्ष द्वारा कराए गए अध्ययन पर नीति टिकाने से पहले सरकारी, स्वतंत्र गणना चाहिए।

“अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता (जिसमें अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता शामिल है) और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान।”

— दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय • अनुच्छेद 3(क), सामान्य सिद्धांत (संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को अंगीकृत; भारत द्वारा 2007 में अनुसमर्थित)
उपयोग करें (Use in): आज का सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस, सुगम्य हवाई यात्रा पर, जहाँ चल सकने वाले दृष्टिबाधित यात्रियों को व्हीलचेयर और एम्बुलिफ़्ट में बैठने को विवश किया जाता है, और हवाई अड्डे व ऐप स्क्रीन रीडर पर विफल रहते हैं। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, अनुच्छेद 21 की गरिमा और युक्तियुक्त समायोजन के कर्तव्य पर, तथा सामान्य अध्ययन-4 में सहानुभूति और नागरिक की गरिमा पर कीजिए। यह सिद्धांत प्रश्न को “एयरलाइन के लिए क्या सबसे सुरक्षित है?” से हटाकर “यात्री ने क्या चुना है?” पर ले आता है। संतुलन भी रखिए: कुछ यात्रियों को सचमुच सहायता चाहिए, इसलिए यात्री की अपनी घोषणा से शुरू कीजिए और उसे केवल दर्ज सुरक्षा-कारण पर ही पलटिए।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 8 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 कर्नाटक ने सिंधु जल पर केंद्र के रुख का हवाला देकर कावेरी पंचाट पर पुनर्विचार की माँग के संकेत दिए
- 1.2 दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर संबंधी नियम और BNSS के निरोध-अधिकार विरोध के अधिकार की कसौटी पर
- 1.3 केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रकाश सिंह निर्देशों के तहत झारखंड के DGP नियमों को अवैध घोषित करने को कहा

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, फरवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी
- 2.2 GST फिटमेंट समिति ने सह-ऋण (को-लेंडिंग) में बैंकों को दी जाने वाली NBFC सेवाओं पर 18% कर का प्रस्ताव रखा

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 अध्ययन: भारत के कपास क्षेत्र के 30% तक में अवैध शाकनाशी-सहनशील Bt संकर उगाए जा रहे हैं

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग का प्रस्ताव: हर विद्यार्थी के OPT कार्य-परमिट पर स्कूल से 70,000 डॉलर का शुल्क

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 WWF के 73% वन्यजीव ह्रास के आँकड़े के बीच तहर, गिद्ध और ड्यूगोंग की बढ़ती संख्या ने दिखाया कि संरक्षण कारगर हो सकता है

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 भारत से वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का आग्रह, जबकि महामारी समझौता अपने रोगाणु-साझाकरण अनुलग्नक की प्रतीक्षा में है

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 रसायन नोबेल 2026 कागन और सोई को: आणविक हस्तता को बनाने और प्रवर्धित करने की खोज पर सम्मान
- 7.2 वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण अवसरचना घोषित होने के बाद बैंकों को क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन योजना बनाने का निर्देश

8. समाज (Society)

- 8.1 सर्वोच्च न्यायालय ने सुलभ हवाई यात्रा की “प्रणालीगत विफलता” पर केंद्र से जवाब माँगा

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 9.1 94वें वायुसेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख ने तेजस में देरी की ओर इशारा किया; GE के इंजनों की आपूर्ति स्थिर हुई

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 प्रकरण 1 — “आज रात ही हिरासत में ले लो”: पुलिस अधिकारी और वह रैली जो अभी हुई ही नहीं
- 9.2 प्रकरण 2 — मेरे खंड में अधिकांश लोग क्रानून तोड़ रहे हैं: कृषि अधिकारी और अनुमोदन-रहित कपास बीज

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 19 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1
- 11.2 GS1 कोना — Geography: अल नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव और भारतीय मानसून
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): अनुपातिकता (Proportionality)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

12.1 हस्तता : छोटी असमानताएँ, धैर्य से बढ़ाई जाएँ तो, बड़े परिणाम तय करती हैं।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	कर्नाटक ने “बदली परिस्थितियों” के आधार पर कावेरी अधिनिर्णय पर पुनर्विचार माँगा क्यों ज़रूरी: GS2 संघवाद: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 262 और 1956 का अधिनियम; मुख्य परीक्षा के लिए जल अधिनिर्णयों की अंतिमता बनाम समय-समय पर समीक्षा।
2.1	RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, अंशांकित सख्ती का रुख अपनाया क्यों ज़रूरी: GS3 मौद्रिक नीति: प्रारंभिक परीक्षा के लिए MPC, LAF गलियारा और महँगाई लक्ष्य; मुख्य परीक्षा के लिए आपूर्ति-आघात से उपजी महँगाई और दर-वृद्धि।
3.1	कपास के 30% तक क्षेत्र में अवैध शाकनाशी-सहिष्णु Bt संकर क्यों ज़रूरी: GS3 कृषि एवं जैव-प्रौद्योगिकी: प्रारंभिक परीक्षा के लिए GEAC और Bt जीन; मुख्य परीक्षा के लिए किसानों की ज़रूरतों से पिछड़ा GM विनियमन।
6.1	महामारी समझौते को अब भी रोगाणु-साझाकरण (PABS) अनुलग्नक की प्रतीक्षा क्यों ज़रूरी: GS2 वैश्विक संस्थाएँ: प्रारंभिक परीक्षा के लिए WHO की संधि-निर्माण प्रक्रिया और नागोया प्रोटोकॉल; मुख्य परीक्षा के लिए भारत और वैश्विक दक्षिण की स्वास्थ्य-समानता।
8.1	सुगम्य हवाई यात्रा की “प्रणालीगत विफलता” पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस क्यों ज़रूरी: GS2 वंचित वर्ग: प्रारंभिक परीक्षा के लिए RPwD अधिनियम और UNCRPD; मुख्य परीक्षा के लिए दिव्यांग अधिकारों की कसौटी के रूप में सुगम्यता।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की तीनों खबरें एक ही कसौटी पर हैं: क्या कोई तय नियम उस पक्ष के सामने टिक पाता है जिसे वह नियम नापसंद है? कर्नाटक चाहता है कि बारिश न होने के आधार पर जल-पंचाट पर फिर विचार हो, दिल्ली पुलिस ऐसी अनुमति-व्यवस्था चला रही है जिसमें अनुमति कभी मिलती ही नहीं, और झारखंड ने पुलिस प्रमुख चुनने से ठीक एक दिन पहले अपने नियम बदल डाले। नियम तभी टिकते हैं जब उन्हें बदलने की प्रक्रिया ऐसी हो कि दूसरा पक्ष उसे देख सके।

1.1 कर्नाटक ने सिंधु जल पर केंद्र के रुख का हवाला देकर कावेरी पंचाट पर पुनर्विचार की माँग के संकेत दिए

सूदा अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी वर्ष 2007 के अधिकरण-पंचाट को, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में संशोधित किया, चार तटवर्ती पक्षों के बीच कावेरी का जल बाँटता है। न्यायालय ने तमिलनाडु की कमी संबंधी याचिका पर कर्नाटक को जवाब देने के लिए एक सप्ताह दिया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कावेरी का जल छोड़े जाने में बकाया को लेकर तमिलनाडु की शिकायत के उत्तर में कर्नाटक ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि वह जल-आवंटन पर पुनर्विचार की माँग कर सकता है। 40 पन्नों के अपने उत्तर में उसने आवंटन को “अन्यायपूर्ण” कहा है और “परिवर्तित परिस्थितियों” यानी परिस्थितियों में मूलभूत बदलाव (rebus sic stantibus) का सहारा लिया है; इसका आशय यह है कि जिन तथ्यों को मानकर कोई दायित्व स्वीकार किया गया था, वे मौलिक रूप से बदल जाएँ तो दायित्व समाप्त हो जाता है। कर्नाटक ने यह भी रेखांकित किया है कि केंद्र सरकार इसी आधार पर 1960 की सिंधु जल संधि को, जो अभी स्थगित है, बदलना चाहती है। कर्नाटक ने केवल आवेदन करने का “अधिकार सुरक्षित” रखा है; न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार की कोई याचिका नहीं है और कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। जून से सितंबर के बीच वहाँ 551 मिमी वर्षा हुई जबकि सामान्य वर्षा 852 मिमी है; यानी 35% की कमी, जो 70 वर्षों में दूसरी सबसे कम है। डेक्कन हेराल्ड (30 अगस्त) के अनुसार, तमिलनाडु ने आनुपातिक (pro rata) सूत्र के तहत देय 17.604 हज़ार मिलियन घन फुट (tmc ft) जल की माँग की थी।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1924 का मद्रास-मैसूर समझौता → 2007 में अधिकरण का पंचाट → 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन → 35% मानसूनी कमी से आनुपातिक बँटवारा और तमिलनाडु की बकाया-याचिका → कर्नाटक द्वारा आवंटन पर ही प्रश्न

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. अनुच्छेद 262 और 1956 का अधिनियम पंचाट को अंतिम बनाते हैं; 2018 में इसमें संशोधन हुआ — अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन का और उनमें न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित करने का उपबंध बनाने की शक्ति देता है। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act) अधिकरण के निर्णय को अंतिम बनाता है (धारा 6) और न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर रखता है (धारा 11)। फिर भी State of Karnataka v. State of Tamil Nadu (फरवरी 2018) में न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपीलें सुनीं, कर्नाटक का हिस्सा 14.75 tmc ft बढ़ाया और आवंटन 15 वर्षों के लिए तय कर दिया। 2. “परिवर्तित परिस्थितियाँ” संधि-विधि से बाहर निकलने का संकरा रास्ता है — संधि-विधि पर वियना अभिसमय, 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties) का अनुच्छेद 62 किसी राज्य को संधि तभी समाप्त करने देता है जब सहमति के आधार में मौलिक और अप्रत्याशित बदलाव आया हो, और सीमा संबंधी संधि को कभी नहीं। संप्रभु राष्ट्रों के विपरीत राज्यों के ऊपर एक साझा सर्वोच्च सत्ता होती है, इसलिए पंचाट पर पुनर्विचार तभी हो सकता है जब 1956 का अधिनियम और न्यायालय अनुमति दें।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. जलवायु दबाव में जल-संघवाद GS2 का बार-बार आने वाला विषय है — GS2 में “संघीय ढाँचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ” शामिल हैं; कमज़ोर मानसून नदी विवादों को फिर उभार देता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 262 संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित कर दे। ● संशोधित कावेरी पंचाट 50% निर्भरता पर 740 tmc ft जल बाँटता है: कर्नाटक 284.75, तमिलनाडु 404.25, केरल 30, पुदुचेरी 7, साथ में पर्यावरणीय प्रवाह के लिए 10 tmc ft और अपरिहार्य क्षय के लिए 4 tmc ft। ● कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority) की स्थापना 2018 में 1956 के अधिनियम की धारा 6A के अंतर्गत की गई थी।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टिकोण — केंद्र और राज्य: कूटनीतिक तर्क से संघीय समझौते को अस्थिर नहीं किया जा सकता — केंद्र पाकिस्तान के विरुद्ध परिवर्तित परिस्थितियों का तर्क इसलिए दे सकता है कि दो संप्रभु राष्ट्रों के ऊपर कोई न्यायालय नहीं बैठता; राज्यों के बीच एक न्यायालय मौजूद है। यदि सूखे वर्ष से पीड़ित कोई राज्य पंचाट को अन्यायपूर्ण कह सकता है, तो अनुच्छेद 262 से मिली

	अंतिमता हर नदी-बेसिन में ढह जाएगी। पुनर्विचार तय समय पर और साझा सहमति से होना चाहिए; वह जल छोड़ने से मना करने का बहाना कभी नहीं बनना चाहिए। 2. दृष्टिकोण — विकास और पर्यावरण: कमज़ोर कड़ी संकट-काल का नियम है — 740 tmc ft से कम जल होने पर पंचाट केवल “आनुपातिक” बंटवारे की बात कहता है; कर्नाटक का कहना है कि इसका कोई वैज्ञानिक सूत्र नहीं है। ऊपरी जलाशय पहले भरते हैं, इसलिए कमी का बोझ निचले राज्य को उठाना पड़ता है। बेसिन की वर्षा और भंडारण के आँकड़ों पर आधारित पहले से तय सूत्र इस झगड़े का अधिकांश हिस्सा समाप्त कर देगा। 3. अधिकार सुरक्षित रखना सौदेबाज़ी की चाल है, कानूनी कदम नहीं — कर्नाटक ने कुछ दाखिल नहीं किया है; अपने ही जल छोड़ने की शिकायत का उत्तर देते हुए उसने एक धमकी रिकॉर्ड पर रख दी है। इसके विपरीत मत यह है कि जिस शिकायत को कभी उठाया ही न जाए, वह खो जाती है। न्यायालय उसे बाद में सुन सकता है, पर इसके बहाने आज जल न छोड़ने को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	क्या अंतर-राज्यीय नदी जल आवंटनों पर समय-समय पर पुनर्विचार होना चाहिए? कावेरी पर कर्नाटक की “परिवर्तित परिस्थितियों” की दलील के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — अंतिमता और पुनर्विचार को तौलिए; निष्कर्ष दीजिए। 2. प्रस्तावना — 35% कमी के बाद कर्नाटक का rebus sic stantibus का सहारा — दो पंक्तियाँ। 3. अंतिमता ही अनुच्छेद 262 की रचना का उद्देश्य है — मूल्यवर्धन: 2018 के निर्णय ने हिस्से 15 वर्षों के लिए तय किए। 4. जल-विज्ञान बदलने से तय हिस्से पुराने पड़ते हैं, पर संधि-सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता — प्रवाह-चित्र: सामान्य वर्ष → तय हिस्से; कमी → आनुपातिक बंटवारा → विवाद। 5. निष्कर्ष — तय समय पर, आँकड़ों पर आधारित समीक्षा और पहले से सहमत संकट-सूत्र — प्राधिकरण के माध्यम से, एकतरफ़ा पुनर्विचार से नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक ऊपरी राज्य के जल संसाधन सचिव हैं और कमी वाले वर्ष में प्राधिकरण ऐसा जल छोड़ने का आदेश देता है जिससे आपके शहर का पेयजल भंडार दबाव में आ जाएगा। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं आदेश का पालन करूँगा, क्योंकि अवज्ञा से अवमानना का खतरा बनता है और बाद में राज्य का पक्ष कमज़ोर होता है। मैं भंडारण के आँकड़े प्राधिकरण के सामने रखूँगा और चरणबद्ध रूप से जल छोड़ने का अनुरोध करूँगा, क्योंकि 2018 का निर्णय पेयजल को पहली प्राथमिकता देता है; साथ ही संकट-काल के लिए सहमत सूत्र की पैरवी करूँगा।

1.2 दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर संबंधी नियम और BNSS के निरोध-अधिकार विरोध के अधिकार की कसौटी पर

मुद्दा निवारक निरोध और गिरफ्तारी के सुरक्षा उपाय (कड़ी 7) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था-विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी अदालतें निरोध पर निगरानी कड़ी करती जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने लिखित आधार बताए बिना गिरफ्तारी को असंवैधानिक ठहराया और 29 सितंबर को संभल के एक अभियुक्त का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत निरोध रद्द किया, जो पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान पर टिका था।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा वाम और युवा संगठनों के साथ बुलाई गई 10 अक्टूबर की जंतर मंतर रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, और एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पूर्व के आंदोलनकारियों को पहले से हिरासत में लेने के आदेश जारी हुए हैं। आयोजकों को तारीख, एजेंडा और अपेक्षित भीड़ बताते हुए 10 दिन पहले पुलिस उपायुक्त (DCP) को आवेदन देना होता है; “सूचना-पत्र” आवेदन नहीं माना जाता। स्थल की घोषित क्षमता अधिकतम 1,000 लोगों की है, और जुलाई से वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होने दिया गया है। तब चिह्नित किए गए 2,800 से अधिक लोगों पर चेहरा पहचानने की तकनीक से नज़र रखी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 2 अक्टूबर से नई दिल्ली में लागू है और सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें विपक्षी नेता भी हैं (द इंडियन एक्सप्रेस)। निरोध का अर्थ है बिना मामले के थोड़े समय की हिरासत; गिरफ्तारी से आपराधिक कार्यवाही शुरू होती है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

SIR और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के विरुद्ध प्रदर्शन → 2 अक्टूबर से धारा 163 का आदेश → जंतर मंतर के अनुरोध अस्वीकृत, प्रदर्शनकारी रोज़ हिरासत में → 10 अक्टूबर के लिए पहले से हिरासत की योजना

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. सभा का अधिकार केवल लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रतिबंधित हो सकता है — अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) वाक्-स्वातंत्र्य तथा शांतिपूर्ण, निःशस्त्र सभा की रक्षा करते हैं; अनुच्छेद 19(3) सभा पर व्यक्तिगत निर्बंधन केवल भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के लिए लगाने की अनुमति देता है। <i>Mazdoor Kisan Shakti Sangathan v. Union of India</i> (2018) में जंतर मंतर और बोट क्लब पर प्रदर्शनों के सर्वव्यापी निषेध को रद्द किया गया: निर्बंधन नियमन करें, समाप्त नहीं। <i>Amit Sahni</i> (2020) ने, शाहीन बाग के संदर्भ में, कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। 2. BNSS पुलिस को दो अलग-अलग निवारक अधिकार देती है — धारा 170, जो CrPC की धारा 151 की उत्तराधिकारी है, संज्ञेय अपराध की योजना बनाने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने देती है, यदि उसे “अन्यथा रोका नहीं जा सकता”। धारा 172 पुलिस को उस व्यक्ति को “हिरासत में लेने या हटाने” का अधिकार देती है जो वैध निर्देश की अनदेखी करे; उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है या मामूली मामलों में 24 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाता है। इनमें से कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों के अर्थ में “निवारक निरोध” नहीं है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. नई आपराधिक संहिताओं की परीक्षा अब सड़क पर अनुच्छेद 19 और 22 की कसौटी पर हो रही है — GS2 संविधान के “महत्वपूर्ण प्रावधानों” पर प्रश्न पूछता है; प्रदर्शनों में पुलिस की भूमिका उनकी सबसे दिखाई देने वाली परीक्षा है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● BNSS की धारा 163 (निषेधाज्ञा) CrPC की धारा 144 का स्थान लेती है; ऐसे आदेश की अवज्ञा भारतीय न्याय संहिता (<i>Bharatiya Nyaya Sanhita — BNS</i>) की धारा 223 के अंतर्गत अपराध है। ● अनुच्छेद 22(1)-(2) गिरफ्तारी के आधार, अधिवक्ता की सुविधा और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी की गारंटी देते हैं; अनुच्छेद 22(3) निवारक निरोध कानूनों को इससे बाहर रखता है। ● <i>Arnesh Kumar v. State of Bihar</i> (2014) ने सात वर्ष तक के दंड वाले अपराधों में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगाई।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टिकोण — स्वतंत्रता और व्यवस्था: अनुमति-व्यवस्था वैध है, पर जो कभी अनुमति न दे वह प्रतिबंध है — सूचना की अवधि और क्षमता की सीमा वही नियमन हैं जिन्हें 2018 के निर्णय ने स्वीकार किया था। जुलाई से कोई प्रदर्शन नहीं, और खुले आह्वानों को एक वर्ग के रूप में अस्वीकार करना, उसी उन्मूलन के बराबर है जिसे उस निर्णय ने वर्जित किया था। समझदार अधिकारी शर्तों के साथ अनुमति देता है और केवल किसी विशिष्ट, दर्ज खतरे पर ही इनकार करता है। 2. बिना मामले के निरोध राज्य-शक्ति का सबसे कम जवाबदेह प्रयोग है — गिरफ्तारी से अनुच्छेद 22 और मजिस्ट्रेट की भूमिका शुरू हो जाती है; पुलिस की बस में बिताए घंटों का कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। धारा 170 में अपराध की ज्ञात योजना चाहिए, आंदोलन का इतिहास नहीं; इसलिए चेहरा पहचानने की तकनीक से चिह्नित “पूर्व आंदोलनकारियों” को हिरासत में लेना यह देखता है कि लोग कौन हैं, यह नहीं कि वे करने क्या जा रहे हैं। 3. धारा 172 पुलिस के निर्देश को नागरिक का कर्तव्य बना देती है — वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े का कहना है कि CrPC ने नागरिकों को पुलिस निर्देश मानने के लिए कभी बाध्य नहीं किया, जबकि धारा 172(2) करती है। फिर सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि निर्देश वैध था या नहीं, और अदालतों को चाहिए कि इसे पुलिस से सिद्ध करवाएँ।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	BNSS के अंतर्गत प्रदर्शनकारियों को पहले से हिरासत में लेना विरोध के नियमन को उसके निषेध में बदलने का जोखिम रखता है। टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — एक आयाम पर तर्कसंगत राय: अनुच्छेद 19 की कसौटी पर निरोध। 2. प्रस्तावना — जंतर मंतर के इनकार और रोज़ की हिरासतें — लगभग 20 शब्द। 3. धारा 170 में विशिष्ट योजना चाहिए, आंदोलन का रिकॉर्ड नहीं — मूल्यवर्धन: <i>Joginder Kumar</i> (1994) ने गिरफ्तार करने की शक्ति को उसके औचित्य से अलग किया। 4. धारा 172 निर्देश न मानने को हिरासत का आधार बना देती है — प्रवाह-चित्र: निर्देश → अवज्ञा → हिरासत → रिहाई, या BNS की धारा 223 के अंतर्गत गिरफ्तारी। 5. निष्कर्ष — नियमन कीजिए, दर्ज कीजिए, रिहा कीजिए — जैसा <i>Mazdoor Kisan Shakti Sangathan</i> में अपेक्षित है।

**प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)**

प्रश्न 1. आप नई दिल्ली के DCP हैं और आपको जंतर मंतर पर अनिश्चित आकार की रैली का सूचना-पत्र मिलता है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं आयोजकों से कहूँगा कि वे इसे अपेक्षित भीड़ के अनुमान के साथ आवेदन में बदलें, फिर क्षमता और निश्चित घंटों के भीतर अनुमति दूँगा। कोई भी इनकार लिखित और विशिष्ट कारणों के साथ होगा, जिसे चुनौती दी जा सके, और हर हिरासत समय तथा रिहाई सहित दर्ज होगी।

1.3 केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रकाश सिंह निर्देशों के तहत झारखंड के DGP नियमों को अवैध घोषित करने को कहा

मुद्दा Police reform and the Prakash Singh directions (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य : स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी *Prakash Singh v. Union of India* (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से बचाने के लिए निर्देश जारी किए, जिनमें UPSC द्वारा पैनल में रखे गए और तय कार्यकाल वाले पुलिस महानिदेशक (DGP) शामिल हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) चुनने संबंधी 2025 के विनियम को अवैध घोषित करने को कहा है। उसने Prakash Singh मामले में एक अंतरिम आवेदन (लंबित मामले के भीतर किया गया अनुरोध) दाखिल किया है। उसे तदाशा मिश्रा की 30 दिसंबर, 2025 की नियुक्ति पर आपत्ति है, जो उनकी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले हुई, जब राज्य ने 29 दिसंबर को अपना विनियम संशोधित कर कम-से-कम छह माह की शेष सेवा का नियम हटा दिया था। उसने अनुराग गुप्ता की 2 फरवरी, 2025 की नियुक्ति को भी चुनौती दी है, जब उनकी सेवा के लगभग तीन माह बचे थे। उसका मूल आरोप है: कोई राज्य चयन-प्रक्रिया से हटते हुए दो वर्ष के कार्यकाल का दावा नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ इसे गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। लाइवलों के अनुसार, न्याय-मित्र (amicus) राजू रामचंद्रन पहले ही उल्लंघन की सूचना दे चुके थे।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1996 में याचिका दाखिल → 2006 के निर्देश, 2018 और 2019 में स्पष्टीकरण → झारखंड का अपना 2025 का विनियम → सेवानिवृत्त हो रहे DGP की नियुक्ति से एक दिन पहले छह माह का नियम हटाया गया → केंद्र द्वारा प्रवर्तन की मांग

**स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)**

1. पुलिस राज्य सूची का विषय है, पर उसका नेतृत्व अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी करता है — राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2 “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” को राज्यों के अधीन रखती हैं, जिनमें से अनेक के पुलिस कानून आज भी पुलिस अधिनियम, 1861 (Police Act) पर आधारित हैं। परंतु DGP भारतीय पुलिस सेवा से आता है, जिसकी भर्ती अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (All India Services Act) के अंतर्गत UPSC द्वारा होती है, इसलिए उसके अधिकारियों के चयन में केंद्र का भी सरोकार है।
2. प्रकाश सिंह (2006) ने सात निर्देश दिए; बाद के आदेशों ने खामियाँ बंद कीं — इनके अनुसार राज्य सुरक्षा आयोग, UPSC द्वारा पैनल में रखे गए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से चुना गया और कम-से-कम दो वर्ष के कार्यकाल वाला DGP, क्षेत्रीय अधिकारियों का तय कार्यकाल, जाँच और कानून-व्यवस्था की अलग शाखाएँ, पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग आवश्यक हैं। लाइवलों के अनुसार, 2018 और 2019 के आदेशों ने कार्यवाहक DGP पर रोक लगाई और छह माह की शेष सेवा की शर्त जोड़ी। सोली सोराबजी समिति ने आदर्श पुलिस अधिनियम, 2006 (Model Police Act) का प्रारूप तैयार किया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. पुलिस सुधार दो GS प्रश्नपत्रों को जोड़ता है — GS2 में “विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण” और GS3 में “विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ तथा उनका अधिदेश” आते हैं; पुलिस की नियुक्तियाँ चलाने वाला न्यायालय दोनों को छूता है।

**प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)**

- “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 1 और 2 हैं।
- प्रकाश सिंह निर्णय के अनुसार राज्य अपना DGP UPSC द्वारा पैनल में रखे गए तीन अधिकारियों में से चुनता है; DGP अधिवर्षिता की परवाह किए बिना कम-से-कम दो वर्ष सेवा करता है।
- आदर्श पुलिस अधिनियम, 2006 का प्रारूप सोली सोराबजी की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाया था।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दृष्टिकोण — केंद्र और राज्य : संघ राज्य के विषय पर न्यायालय की डिक्ती के सहारे पुलिस-व्यवस्था चला रहा है — केंद्र सामान्यतः किसी राज्य को यह नहीं बता सकता कि वह किसे नियुक्त करे, क्योंकि पुलिस सूची II में है; यहाँ वह सभी राज्यों पर बाध्यकारी निर्देशों का सहारा ले रहा है। राज्य इन निर्देशों को तब तक की अस्थायी व्यवस्था बताते हैं जब तक वे स्वयं कानून नहीं बना लेते। उचित मत यह है: नियम बनाना राज्य का अधिकार है, पर किसी एक अधिकारी

	के अनुकूल बदला गया नियम किसी एक के नाप से सिला हुआ नियम है। 2. निष्पक्ष चयन के बिना कार्यकाल सुरक्षा को संरक्षण-तंत्र में बदल देता है — कार्यकाल तभी DGP को दबाव झेलने लायक बनाता है जब प्रवेश निष्पक्ष रहा हो, यानी UPSC पैनल के जरिये। सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले किसी अधिकारी की नियुक्ति कार्यकाल को सरकार द्वारा दिए गए दो वर्ष के सेवा-विस्तार में बदल देती है, जो स्वतंत्रता नहीं बल्कि निष्ठा खरीदता है। 3. दो दशकों का न्यायालय-प्रेरित पुलिस सुधार उसकी सीमाएँ दिखाता है — कानून के बिना निर्देशों से दिखावटी अनुपालन और अंतहीन आवेदन ही निकलते हैं। विपरीत मत यह है कि न्यायालय के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। स्थायी हल पैनल और कार्यकाल को कानून में दर्ज करने वाले राज्य-कानून हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“न्यायिक निर्देशों से पुलिस सुधार अपनी सीमा तक पहुँच चुका है।” प्रकाश सिंह निर्देशों और झारखंड की DGP नियुक्ति के विवाद के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — जाँचिए कि न्यायालय-प्रेरित सुधार ने क्या पाया और वह कहाँ रुकता है। 2. प्रस्तावना — सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले नियुक्त DGP — दो पंक्तियाँ। 3. निर्देशों ने पुलिस नेतृत्व के लिए एकमात्र राष्ट्रीय मानक बनाया — मूल्यवर्धन: 2006 के सात निर्देश और कार्यवाहक DGP पर रोक। 4. राज्य दिखावे में अनुपालन करते हैं और व्यक्तियों के लिए नियम बदलते हैं, यानी राज्य के विषय को न्यायालय के आदेश से लागू कराया जाता है — आरेख: UPSC पैनल → राज्य का चयन → दो वर्ष का कार्यकाल, जिसमें झारखंड का संशोधन पहली कड़ी काट देता है। 5. निष्कर्ष — आदर्श पुलिस अधिनियम की तर्ज़ पर वैधानिक पुलिस अधिनियम — पैनल और कार्यकाल कानून में हों, न्यायालय के आदेशों में नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप गृह सचिव हैं और मुख्यमंत्री आपसे DGP नियम बदलने को कहते हैं ताकि सेवानिवृत्ति के निकट एक चहेते अधिकारी को नियुक्त किया जा सके। आप क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं लिखित सलाह दूँगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उत्प्लंघन है और झारखंड जैसा हथ न्योता देता है। अलग मानदंड के लिए न्यायालय की अनुमति या आगे की सभी रिक्तियों के लिए खुला कानून चाहिए, और UPSC को प्रस्ताव रिक्ति से तीन माह पहले भेजना होगा।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

दोनों खबरें उधार की कीमत से जुड़ी हैं। तेल, कमज़ोर मानसून और मज़बूत अर्थव्यवस्था के मिले-जुले दबाव से महँगाई के फैलने का खतरा देखकर RBI ने सबके लिए कर्ज़ महँगा कर दिया है; वहीं GST फिटमेंट समिति उन छोटे कर्ज़दारों के लिए, जिन तक बैंक केवल NBFC के जरिए पहुँचते हैं, चुपचाप कर्ज़ और महँगा कर सकती है। पहला सोच-समझकर लिया गया समझौता (trade-off) है; दूसरा कहीं अनजाने में हुआ समझौता न बन जाए, यह जोखिम है।

2.1 RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, फ़रवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी

मुद्रा मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और RBI (कडी 9) **दृष्टि (Lens)** तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार • विकास और समता

अब तक की कहानी अगस्त में खुदरा महँगाई 4.82% पर पहुँच गई, जबकि 125 आधार अंकों की कटौती के बाद रेपो दर 5.25% थी। ब्रेंट कच्चा तेल 100 डॉलर से ऊपर, मानसून में 13% की कमी और भारत-अमेरिका प्रतिफल अंतर के सिकुड़ने से बाज़ार को दर-वृद्धि की उम्मीद थी।

समाचार (THE NEWS) मुंबई। अनुमान से निर्णय की ओर बढ़ते हुए मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee — MPC) ने 7 अक्टूबर को सर्वसम्मति से रेपो दर, यानी वह दर जिस पर RBI बैंकों को रातोंरात उधार देता है, 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% कर दी। फ़रवरी 2023 के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। RBI के प्रस्ताव के अनुसार स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility — SDF) दर अब 5.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility — MSF) दर और बैंक दर 5.75% हैं। रुख़ “तटस्थ” से बदलकर “अंशकित सख़्ती” हो गया; यह निर्णय 4-2 से हुआ, क्योंकि नागेश कुमार और राम सिंह रुख़ को तटस्थ रखना चाहते थे। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि निकट भविष्य में दर-कटौती “विचार से बाहर” है। पहली तिमाही में 7.8% वृद्धि के बाद RBI ने 2026-27 के लिए वृद्धि अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया और महँगाई 5.2% रहने का अनुमान लगाया, जो अगली तीन तिमाहियों में औसतन लगभग 5.8% रहेगी। RBI ने पश्चिम एशिया संघर्ष, कच्चे तेल की अस्थिरता, कमज़ोर मानसून और अल नीनो को जोखिम बताया।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कच्चा तेल चढ़ता है और कमज़ोर मानसून के साथ अल नीनो जुड़ता है → महँगाई 4% पार करती है जबकि वृद्धि 7.8% पर पहुँचती है → कीमतों का दबाव कोर वस्तुओं में फैलता है → MPC दर बढ़ाती है और अंशकित सख़्ती का रुख़ अपनाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. RBI अधिनियम तय करता है कि लक्ष्य कौन निर्धारित करे और कौन हासिल करे — 2016 में जोड़ी गई भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act, 1934) की धारा 45ZA केंद्र सरकार को RBI से परामर्श करके हर पाँच वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करने का अधिकार देती है: CPI मुद्रास्फीति 4%, सीमा 2-6%। धारा 45ZB छह सदस्यीय MPC बनाती है: गवर्नर (अध्यक्ष), एक उप-गवर्नर, RBI का एक अधिकारी और केंद्र द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य। धारा 45ZI के तहत मत बराबर होने पर गवर्नर को निर्णायक मत (casting vote) प्राप्त है। 2. चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) का गलियारा रातोंरात की दर को रेपो के पास रखता है — जिन बैंकों को नकदी की कमी होती है, वे MSF दर पर RBI से उधार लेते हैं, जो इस गलियारे की ऊपरी सीमा है; जिनके पास अतिरिक्त नकदी होती है, वे उसे बिना किसी गिरवी के SDF दर पर जमा करते हैं, जो निचली सीमा है। इसलिए कॉल दर रेपो के आसपास बनी रहती है और रेपो बदलने से पूरा गलियारा खिसक जाता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. महँगाई बनाम वृद्धि GS3 का स्थायी प्रश्न है — पाठ्यक्रम में “वृद्धि, विकास और रोज़गार” शामिल हैं; आपूर्ति-आघात के बीच की गई दर-वृद्धि यह परखती है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) कैसे काम करता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● MPC का गठन वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन करके किया गया था। ● मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार RBI से परामर्श करके हर पाँच वर्ष में एक बार तय करती है। ● स्थायी जमा सुविधा LAF गलियारे की निचली सीमा है और बिना गिरवी के चलनिधि सोखती है; MSF ऊपरी सीमा है। ● बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण रेपो के साथ पुनर्निर्धारित होते हैं; MCLR से जुड़े ऋण केवल बैंकों की निधि-लागत के साथ बदलते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दर-वृद्धि तेल या बारिश को सस्ता नहीं कर सकती, पर दूसरे दौर के असर को रोक सकती है — ऊँची दरें कच्चे तेल के दाम नहीं घटाती। वे केवल आपूर्ति-आघात को मज़दूरी और अन्य कीमतों में फैलने से रोक सकती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, 4% से तेज़ बढ़ने वाली CPI मई जनवरी के 65 से अगस्त में 110 हो गई। क्रिसिल के धर्मकीर्ति जोशी के अनुसार जब आपूर्ति-आघात मज़बूत माँग से टकराते हैं, तो महँगाई का दायरा फैलता है। 2. दृष्टि — अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: असली निर्णय रुख़ का है — 25 आधार

	अंकों की वृद्धि छोटी है; अंशांकित सस्ती बाज़ार को संकेत देती है कि कटौती का दौर खत्म हो गया, इसलिए वे अभी से समायोजन करते हैं। ET का संपादकीय शुरुआत में ही कड़ा कदम उठाने का आग्रह करता है और याद दिलाता है कि यूक्रेन आघात के बाद RBI वक्र से पीछे रह गया था। एक विवेकशील अधिकारी आज धीमे ऋण-प्रवाह को स्वीकार करेगा, बजाय इसके कि आगे चलकर जड़ जमा चुकी 6% महंगाई से कहीं महंगी लड़ाई लड़नी पड़े। 3. वैश्विक प्रतिफल महंगाई के आँकड़े से भी कम गुंजाइश छोड़ते हैं — जोशी के अनुसार भारत-अमेरिका दस-वर्षीय बॉन्ड अंतर 400 आधार अंकों से ऊपर से घटकर लगभग 200 रह गया है, इसलिए विदेशी पूंजी बाहर जाती है और कमज़ोर रुपया आयात की कीमतें बढ़ाता है। प्रति-तक यह है कि ईंधन पर कर और खाद्य भंडार, जो सरकार के नियंत्रण में हैं, इन कीमतों पर कहीं जल्दी असर डालते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“मौद्रिक नीति आपूर्ति-आघात का इलाज नहीं कर सकती, पर उसे फैलने से रोक सकती है।” RBI की ताज़ा नीति के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — कथन को दोनों पक्षों से परखिए और अपना निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — आपूर्ति-जनित महंगाई के बीच दर-वृद्धि — रेपो 5.50%, अंशांकित सस्ती, CPI अनुमान 5.2%। 3. दरें कच्चा तेल सस्ता नहीं कर सकतीं, पर अपेक्षाओं को थाम सकती हैं — मूल्य-संवर्धन: 4% से ऊपर महंगाई वाली मदें 65 से बढ़कर 110 हुईं। 4. मज़बूत वृद्धि और घटता प्रतिफल अंतर जल्दी कार्रवाई को उचित ठहराते हैं — प्रवाह-आरेख: तेल और मानसून का आघात → शीर्ष CPI → अपेक्षाएँ → कोर CPI → रेपो वृद्धि। 5. राजकोषीय उपायों को भी बोझ का हिस्सा उठाना होगा — ईंधन पर कर और खाद्य भंडार कहीं जल्दी असर करते हैं। 6. निष्कर्ष — समन्वित सस्ती — अभी दर बढ़ाईए और साथ-साथ राजकोषीय उपायों से आपूर्ति का प्रबंधन कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक की MSME ऋण इकाई के प्रमुख के रूप में आप इस दर-वृद्धि पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? दृष्टिकोण (Approach): रेपो से जुड़े ऋण इसी तिमाही में नई दर पर आ जाएँगे, इसलिए मैं उन इकाइयों की पहचान करूँगा जिनकी किस्तें पतले नकदी प्रवाह पर अब बोझ बनेंगी। जो व्यवसाय सुदृढ़ हैं, उनके खाते तनावग्रस्त होने देने के बजाय मैं उन्हें लंबी अवधि का विकल्प दूँगा।

2.2 GST फिटमेंट समिति ने सह-ऋण (को-लेंडिंग) में बैंकों को दी जाने वाली NBFC सेवाओं पर 18% कर का प्रस्ताव रखा

मुद्दा जीएसटी राजस्व और उसकी संरचना (कडी 3) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य • विकास और समता

अब तक की कहानी जुलाई 2017 से लागू GST की दरें 2025 में घटाई गई थीं और सितंबर 2026 में सकल संयह 14.7% बढ़ा। प्रक्रिया-सुधारों पर परिषद की एक बैठक, जिसमें गिरफ्तारी की शक्तियाँ हटाने और अटक इन्पुट क्रेडिट को मुक्त करने जैसे विषय थे, इसी सप्ताह होनी थी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स ने 8 अक्टूबर को बताया कि GST परिषद के अधीन अधिकारियों की फिटमेंट समिति ने तय किया है कि सह-ऋण में बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies — NBFC) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर 18% GST लगेगा, जबकि मूल ऋण पर ब्याज छूट-प्राप्त रहेगा। सह-ऋण में बैंक और NBFC मिलकर ऋण का वित्तपोषण करते हैं: NBFC प्रायः कर्जदार को खोजती और उसका आकलन करती है, जबकि बड़ा हिस्सा बैंक देता है। ET के उदाहरण में कर्जदार 16% की मिश्रित दर चुकाता है, बैंक को अपने हिस्से पर 10% मिलता है और बैंक के हिस्से पर शेष 6% NBFC रखती है। इस अंतर का मूल्यांकन RBI द्वारा निर्धारित पद्धति से होगा और उस पर सेवा के रूप में कर लगेगा। यह परिषद के लिए तैयार पैकेज में समिति का मत है, और परिषद की बैठक 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है; परिषद की मंजूरी के बाद CBIC परिपत्र जारी कर सकता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

छोटे कर्जदारों के बीच बैंकों की पहुँच कम है → RBI बैंकों को NBFC के साथ सह-ऋण की अनुमति देता है → उद्योग पूछता है कि NBFC का अंतर छूट-प्राप्त ब्याज है या कर-योग्य सेवा → फिटमेंट समिति इसे 18% वाली सेवा मानती है → निर्णय परिषद के हाथ में

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध

1. GST परिषद अनुशंसा करती है, कानून नहीं बनाती — 101वें संशोधन, 2016 द्वारा जोड़ा गया

(STATIC SYLLABUS LINKAGE)	अनुच्छेद 279A परिषद का गठन करता है: केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, और प्रत्येक राज्य का वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री अथवा उसके द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री। निर्णयों के लिए भारित मतों का तीन-चौथाई बहुमत चाहिए, जिसमें केंद्र के मत का भार एक-तिहाई है। Mohit Minerals (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिषद की अनुशंसाएँ प्रेरक हैं, बाध्यकारी नहीं। 2. ऋण पर ब्याज छूट-प्राप्त है; सह-ऋण RBI द्वारा विनियमित मॉडल है — 2017 की एक CGST दर अधिसूचना उन ऋण-सेवाओं को छूट देती है जिनमें प्रतिफल ब्याज के रूप में हो। RBI के 2020 के सह-ऋण मॉडल ने बैंकों को NBFC के साथ मिलकर प्राथमिकता-क्षेत्र के ऋण देने की अनुमति दी, जिसमें NBFC को प्रत्येक ऋण का कम-से-कम 20% अपने पास रखना था; 2025 के निर्देशों ने इसका दायरा बढ़ाया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GST की संरचना और वित्तीय समावेशन का मिलन — GS3 में “समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे” शामिल हैं। कर-व्यवहार कर्ज की लागत को कैसे बदलता है, यह एक नया कोण है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● GST परिषद का गठन संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A के अंतर्गत हुआ; इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ● GST परिषद के निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का तीन-चौथाई चाहिए; केंद्र के मत का भार एक-तिहाई है। ● RBI के 2020 के सह-ऋण मॉडल में NBFC को प्रत्येक ऋण का कम-से-कम 20% अपनी बही में रखना अनिवार्य था। ● ऋण देने की जिन सेवाओं में प्रतिफल ब्याज के रूप में होता है, उन्हें GST से छूट है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. कर भले अच्छा न लगे, स्पष्टता का अपना मूल्य है — ET के अनुसार उद्योग ने पिछले वर्ष पूछा था कि NBFC का अंतर ब्याज है या शुल्क, और उसके बाद विवाद हुआ। RBI पर आधारित मूल्यांकन हर ऋणदाता को एक-सा उत्तर देता है। ज्ञात 18% की कीमत तय करना आसान है, बजाय इसके कि वर्षों बाद ब्याज और जुर्माने समेत अचानक माँग आ जाए। 2. दृष्टि — बाज़ार और राज्य: बैंकों और बैंक-वंचितों के बीच के सेतु पर कर — सह-ऋण इसलिए है कि बैंकों के पास सस्ता धन है और NBFC छोटी फ़र्मों व ग्रामीण कर्जदारों तक पहुँचती हैं। चूंकि बैंक की मुख्य आय, यानी ब्याज, छूट-प्राप्त है, वह अपने द्वारा चुकाए GST का केवल एक हिस्सा इनपुट क्रेडिट के रूप में वापस पा सकता है; इसलिए 18% का बड़ा भाग लागत बन जाता है जो संभवतः कर्जदारों पर डाल दिया जाएगा। विवेकशील परिषद NBFC को सह-ऋणदाता के बजाय विक्रेता मानने से पहले इस पर विचार करेगी। 3. रूप पर सार की कसौटी दोनों तरफ़ चलती है — पैकेज में बैंक की अपनी शाखाओं के बीच होने वाले हस्तांतरण को ब्याज माना गया है, क्योंकि वहाँ कोई बाहरी सेवा नहीं है। यही कसौटी NBFC के अंतर को ब्याज का हिस्सा भी कह सकती है, क्योंकि कर्जदार एक ऋण के लिए एक ही दर चुकाता है। इसे सेवा कहना संगति के बजाय राजस्व को तरजीह देता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	सह-ऋण में NBFC सेवाओं पर GST छोटे कर्जदारों के लिए ऋण की लागत को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — प्रक्रिया-तंत्र और उसके संभावित प्रभाव को क्रमवार दिखाइए। 2. भूमिका — सह-ऋण बैंक के धन को NBFC की पहुँच से जोड़ता है — फिटमेंट समिति के 18% के मत का उल्लेख कीजिए। 3. NBFC का अंतर कर-योग्य लागत बन जाता है — मूल्य-संवर्धन: ET का 16%-10%-6% विभाजन। आरेख: कर्जदार → बैंक और NBFC के हिस्से → 6% पर GST। 4. सीमित इनपुट क्रेडिट का अर्थ है कि संभवतः कर्जदार ही चुकाएगा — बैंकों की छूट-प्राप्त ब्याज आय वसूली को सीमित करती है। 5. निष्कर्ष — बिना महँगे कर्ज के निश्चितता — स्पष्टता बनाए रखिए; प्राथमिकता-क्षेत्र के सह-ऋण के लिए कम दर पर विचार कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S)	प्रश्न 1. ऐसे राज्य के GST परिषद सदस्य के रूप में, जहाँ छोटे कर्जदार बड़ी संख्या में हैं, क्या आप इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं विवाद समाप्त करने का समर्थन करूँगा, क्योंकि अनिश्चितता पहले

BRAINSTORM — Q & APPROACH)

ही सह-ऋण को हतोत्साहित कर रही है। मैं पूछूँगा कि इनपुट क्रेडिट के बाद एक सामान्य छोटे ऋण में यह कर कितना जोड़ता है। यदि बोझ कर्जदारों पर पड़ता है, तो मैं प्राथमिकता-क्षेत्र के सह-ऋण के लिए कम दर का प्रस्ताव रखूँगा।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

जब देश की एक-चौथाई कपास ऐसे बीज से उग रही हो जिसे कानून ने मंजूरी ही नहीं दी, तब नियामक वह निर्णय पहले ही गँवा चुका है जो उसे लेना था। श्रमिकों की कमी से जूझते किसानों ने खरपतवारनाशी-सहनशीलता (herbicide tolerance) का रास्ता खुद चुन लिया, और एक काला बाज़ार उसकी आपूर्ति करने लगा। अब प्रश्न यह नहीं रहा कि भारत इस गुण की अनुमति देगा या नहीं, बल्कि यह है कि जो खेतों में पहले से मौजूद है, क्या उसे विनियमित कर पाएगा।

3.1 अध्ययन: भारत के कपास क्षेत्र के 30% तक में अवैध शाकनाशी-सहनशील Bt संकर उगाए जा रहे हैं

मुद्दा GM crops and biosafety regulation (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी Bt कपास भारत की एकमात्र GM फ़सल है जिसकी वाणिज्यिक खेती होती है। अनुमोदन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन GEAC के पास है, और किसी भी शाकनाशी-सहनशील गुण को मंजूरी नहीं मिली है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस ने 8 अक्टूबर को बताया कि 2025-26 में बोई गई 114.8 लाख हेक्टेयर कपास में से अनुमानतः 26.2–29 लाख हेक्टेयर (24–30%) में ऐसे संकर थे जिनमें आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) गुण अनुमोदित नहीं थे। यह अध्ययन भारतीय बीज उद्योग महासंघ (Federation of Seed Industry of India) और राष्ट्रीय बीज संघ (National Seed Association of India) ने करवाया था और इसे जोधपुर के साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने किया। इसमें चार राज्यों के 16 ज़िलों में 984 किसानों के खेतों से लिए गए 227 नमूने जाँचे गए। भारत में केवल cry1Ac और cry2Ab जीनों की अनुमति है, जो सुंडियों (bollworm) को मारते हैं। खरपतवारनाशी ग्लाइफ़ोसेट से कपास को बचाने वाला cp4-epsps जीन 72.69% नमूनों में मिला (तेलंगाना में 88.64%); गुलाबी सुंडी के विरुद्ध प्रभावी नया Bt जीन Vip3A 53.74% नमूनों में मिला। किसान ग्लाइफ़ोसेट के छिड़काव पर प्रति एकड़ ₹750–850 खर्च करते हैं, जबकि हाथ से निराई पर ₹12,000–15,000 लगते हैं। वैध Bt बीज की बिक्री 2022-23 के 596 लाख पैकेट से घटकर 463 लाख रह गई।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पहली पीढ़ी का Bt गुलाबी सुंडी के विरुद्ध कमज़ोर पड़ता है और निराई के लिए मज़दूर कम पड़ते हैं → कोई नया गुण अनुमोदित नहीं होता → अवैध आपूर्ति-तंत्र शाकनाशी-सहनशील और Vip3A बीज बेचता है → कपास का एक-चौथाई क्षेत्र उसे अपना लेता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. GEAC पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत GM फ़सलों को मंजूरी देती है — पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee — GEAC) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बने नियम, 1989 के अंतर्गत कार्य करती है और GM जीवों के पर्यावरण में विमोचन का मूल्यांकन करती है। Bt कपास (बोलगार्ड I) को 2002 में और बोलगार्ड II को 2006 में मंजूरी मिली; किसी शाकनाशी-सहनशील गुण को अनुमोदन नहीं मिला है। 2. बीज कानून अलग से कृषि मंत्रालय के पास है — बीज अधिनियम, 1966 (Seeds Act, 1966) बीज की गुणवत्ता को विनियमित करता है, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 विक्रेताओं को लाइसेंस देता है। जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ GM सरसों के अनुमोदन पर बंटी हुई राय दे बैठी और उसने केंद्र से राष्ट्रीय GM नीति बनाने को कहा।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. कृषि जैव-प्रौद्योगिकी GS3 का आवर्ती विषय है — पाठ्यक्रम में “किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी” और “जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता” शामिल हैं। अवैध HTBt एक ही मामले में जैव-सुरक्षा, कृषि श्रम और बीज बाज़ार को जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● GEAC पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने नियम, 1989 के तहत कार्य करती है। ● Bt कपास भारत की एकमात्र GM फ़सल है जिसे वाणिज्यिक खेती की मंजूरी मिली है; इसके जीन मृदा जीवाणु <i>Bacillus thuringiensis</i> से लिए गए हैं। ● cp4-epsps जीन पौधे को ग्लाइफ़ोसेट के प्रति सहनशील बनाता है; Vip3A एक Bt जीन है जो सुंडियों के अधिक व्यापक वर्ग के लार्वा पर सक्रिय है। ● बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किया गया है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. किसान विज्ञान की अवहेलना नहीं, श्रम की कीमत का जवाब दे रहे हैं — हाथ से निराई का खर्च छिड़काव से पंद्रह गुना तक अधिक है, और चरम मौसम में मज़दूर मिलते नहीं। जब कोई प्रौद्योगिकी इतना बचाती है, तो माँग को आपूर्ति मिल ही जाती है, चाहे वैध हो या अवैध। 2025-26 में ग्लाइफ़ोसेट आयात में 29% की उछाल, यानी 35,642 किलोलीटर तक, दिखाती है कि यह प्रथा कितनी तेज़ी से फैली है।

	2. दृष्टि — नवाचार और सुरक्षोपाय: प्रवर्तन के बिना प्रतिबंध कोई सुरक्षा नहीं — जैव-सुरक्षा समीक्षा का उद्देश्य शाकनाशी-प्रतिरोधी खरपतवार, जीन-प्रवाह और ग्लाइफोसेट के भारी उपयोग जैसे जोखिमों की जाँच करना है। फिर भी यह गुण आज बिना परीक्षण, बिना लेबल और बिना गुणवत्ता-जाँच के उग रहा है, और ₹820-880 करोड़ का अवैध बीज खरीदने वाले किसानों के पास उसके विफल होने पर कोई उपाय नहीं है। एक विवेकशील अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि शाकनाशी के उपयोग पर शर्तों सहित, HT गुणों की समयबद्ध, साक्ष्य-आधारित समीक्षा उस प्रतिबंध से अधिक संरक्षण देती है जिसे बाज़ार नज़रअंदाज़ कर देता है। 3. बीज उद्योग संदेशवाहक भी है और हितधारक भी — जिन बीज संघों की वैध बिक्री घट रही है, उन्होंने ही यह अध्ययन करवाया, और इसके नमूने ग्लाइफोसेट की बिक्री के आधार पर चुने गए संवेदनशील ज़िलों से लिए गए, जिससे पाया गया अनुपात बढ़ सकता है। फिर भी इसका पैमाना वैध पैकेटों की गिरावट से मेल खाता है, इसलिए इसे खारिज करने के बजाय आधिकारिक सर्वेक्षण की ज़रूरत है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	अनुमोदित न किए गए शाकनाशी-सहनशील कपास का प्रसार दिखाता है कि भारत का GM विनियमन किसानों की ज़रूरतों से पीछे है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — नियामक विफलता को गुण के जोखिमों के सामने तौलिए; अपना निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — कपास का एक-चौथाई हिस्सा कानून के बाहर — 114.8 लाख हेक्टेयर का 24-30% उद्धृत कीजिए। 3. श्रम की लागत और कीट-प्रतिरोध माँग को बढ़ाते हैं — मूल्य-संवर्धन: प्रति एकड़ छिड़काव पर ₹750-850 बनाम निराई पर ₹12,000-15,000। 4. अवैध बीज अपरीक्षित जोखिम लाता है और कोई उपचार नहीं देता — प्रवाह-आरेख: अनुमोदन नहीं → अवैध बीज → परीक्षण नहीं → खरपतवार प्रतिरोध और किसानों की हानि। 5. निष्कर्ष — प्रवर्तन सहित साक्ष्य-आधारित अनुमोदन — गुण को विनियमित कीजिए, यह दिखावा करने के बजाय कि वह है ही नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. यवतमाल के ज़िला कृषि अधिकारी के रूप में आपको पता चलता है कि अधिकांश कपास किसान HTBt बीज का उपयोग कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): हज़ारों किसानों को दंडित करना आपूर्ति-शृंखला के अंतिम छोर को सज़ा देना होगा, इसलिए मैं विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करूँगा और बुवाई से पहले निरीक्षकों से डीलरों का स्टॉक जँचवाऊँगा। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से मैं किसानों को ग्लाइफोसेट की सुरक्षा और खरपतवार-प्रतिरोध के बारे में चेताऊँगा, और इसके पैमाने की सूचना राज्य सरकार तथा GEAC को दूँगा।

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

भारतीय विद्यार्थियों ने अमेरिका को हमेशा अपनी पहली पसंद माना, क्योंकि वहाँ की डिग्री के साथ वहीं काम करने का अवसर भी जुड़ा था। पढ़ाई और नौकरी की यही कड़ी अब कीमत के तराजू पर तौली जा रही है। जब कोई एक देश रातों-रात शर्तें बदल सकता है, तो प्रतिभा-नीति को उसी देश के भरोसे का दाँव नहीं बनाया जा सकता।

4.1 अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग का प्रस्ताव: हर विद्यार्थी के OPT कार्य-परमिट पर स्कूल से 70,000 डॉलर का शुल्क

मुद्दा US visas and Indian students (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी भारतीय विद्यार्थी F-1 वीजा पर अमेरिका जाते हैं और अक्सर वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (Optional Practical Training — OPT) और उसके बाद H-1B कार्य-वीजा के सहारे वहीं रुक जाते हैं। वाशिंगटन इन दोनों रास्तों को लगातार कसता रहा है।

समाचार (THE NEWS) वाशिंगटन। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने बुधवार, 7 अक्टूबर को एक नियम का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को हर नए विद्यार्थी के वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) के पहले आवेदन पर 70,000 डॉलर और हर नवीकरण पर 30,000 डॉलर चुकाने होंगे। OPT अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान या उसके बाद, अपने मुख्य विषय से जुड़े काम करने की अनुमति देता है, सामान्यतः स्नातक के बाद एक वर्ष तक, और कुछ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM) विषयों के लिए दो वर्ष अतिरिक्त। DHS ने इस कार्यक्रम को “सस्ते विदेशी श्रम की पाइपलाइन” कहा और धोखाधड़ी तथा दुरुपयोग का हवाला दिया। यह अभी केवल प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। इसकी मार उन कॉलेजों पर पड़ेगी जो फ्रीस के लिए विदेशों से विद्यार्थी जुटाते हैं, और उन तकनीकी कंपनियों पर भी जो इन स्नातकों को नौकरी देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन NAFSA ने कहा कि विद्यार्थियों को दूर भगाने से “अमेरिकी नवाचार को ही नुकसान होगा”।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

OPT अमेरिकी डिग्री को रोज़गार का रास्ता बना देता है → वही H-1B तक पहुँचने का पुल बन जाता है → वाशिंगटन उसे सस्ता विदेशी श्रम कहता है → DHS प्रति विद्यार्थी 70,000 डॉलर के शुल्क का प्रस्ताव रखता है → विश्वविद्यालयों को तय करना है कि विदेशी स्नातक इतनी कीमत के लायक हैं या नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. OPT एक कार्य-प्राधिकार है, वीजा नहीं — OPT, F-1 अप्रवासी विद्यार्थी वीजा धारकों को मिलने वाली अस्थायी रोज़गार-अनुमति है, जिसे अमेरिकी नागरिकता एवं आप्रवासन सेवा (USCIS) प्रदान करती है। इससे पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े काम के लिए अधिकतम 12 महीने की अनुमति मिलती है, और STEM स्नातक 24 महीने के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर तीन वर्ष तक। 2. H-1B वीजा की वार्षिक सीमा 85,000 है — H-1B अमेरिका का वह वीजा है जो ऐसे विशिष्ट व्यवसायों के लिए दिया जाता है जिनमें कम-से-कम स्नातक की डिग्री आवश्यक हो। इसकी वार्षिक सीमा 65,000 है, और अमेरिकी मास्टर्स या उससे ऊँची डिग्री वाले आवेदकों के लिए 20,000 अतिरिक्त हैं। विश्वविद्यालय उन नियोक्ताओं में हैं जिन्हें इस सीमा से छूट प्राप्त है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 में पूछा जाता है कि दूसरे देशों की नीतियाँ भारत को कैसे प्रभावित करती हैं — पाठ्यक्रम में “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय प्रवासी” शामिल है। अमेरिकी वीजा नियम तय करते हैं कि भारतीय प्रतिभा कहाँ प्रशिक्षण पाती है और कहाँ काम करती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) अमेरिका में F-1 विद्यार्थियों के लिए रोज़गार-प्राधिकार है, कोई अलग वीजा नहीं। ● मानक OPT में 12 महीने तक काम करने की अनुमति है; पात्र STEM स्नातकों को 24 महीने का विस्तार मिल सकता है। ● H-1B की वार्षिक सीमा 65,000 है, जिसके अलावा अमेरिकी मास्टर्स या उससे ऊँची डिग्री वालों के लिए 20,000 और हैं; विश्वविद्यालय सीमा से छूट प्राप्त नियोक्ताओं में हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. शुल्क स्कूल पर पड़ेगा, पर पहुँचेगा विद्यार्थी तक — शुल्क विश्वविद्यालय चुकाएँगे, पर प्रति विद्यार्थी 70,000 डॉलर बहुत कम संस्थान सह पाएँगे। वे फ्रीस बढ़ाएँगे, कम विदेशी विद्यार्थी लेंगे या OPT का समर्थन ही बंद कर देंगे। सबसे अधिक नुकसान उन मध्यवर्गीय विद्यार्थियों का होगा जो अमेरिका से मास्टर्स के लिए कर्ज़ लेते हैं और उसे चुकाने के लिए OPT की कमाई पर निर्भर रहते हैं। 2. लेंस — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: भारत की प्रतिभा-पाइपलाइन एक ही देश पर ज़रूरत से ज़्यादा टिकी है — चूँकि अमेरिका ही डिफ़ॉल्ट गंतव्य है, वाशिंगटन में एक नियम-परिवर्तन से पूरे भारत में करियर और कर्ज़ डगमगा सकते हैं। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और

	इसी महीने की शुरुआत में स्विट्ज़रलैंड के साथ हुए गतिशीलता समझौते इस जोखिम को उन देशों में बाँटते हैं जिन्हें कुशल कामगार चाहिए। एक विवेकशील अधिकारी ऐसे समझौतों का दायरा बढ़ाएगा और साथ ही देश में शोध-रोज़गार भी खड़े करेगा। 3. विद्यार्थियों को दूर धकेलने से वे भारत नहीं लौट आते — यदि कुछ प्रतिभा देश में ही रुकती है तो भारत को लाभ हो सकता है, पर तभी जब भारतीय प्रयोगशालाएँ और कंपनियाँ उसे खपा सकें। अन्यथा विद्यार्थी बस यूरोप, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का रुख करें लेंगे। चूँकि यह अभी केवल प्रस्तावित नियम है, भारत को इसे बातचीत में उठाना चाहिए, पर अति-प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	अमेरिका के विद्यार्थी एवं कार्य-वीज़ा नियमों में परिवर्तन भारत की प्रतिभा-पाइपलाइन की नाज़ुकता को उजागर करते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सुझाइए कि भारत इस निर्भरता को कैसे घटा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — हानि और अवसर दोनों को तौलिए, फिर अपना निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — 7 अक्टूबर का OPT शुल्क प्रस्ताव — DHS का प्रस्ताव: हर नए OPT विद्यार्थी पर 70,000 डॉलर और हर नवीकरण पर 30,000 डॉलर। 3. मुख्य भाग — अमेरिकी नीति पढ़ाई से नौकरी तक के रास्ते को महँगा बनाती है — OPT और 85,000 की H-1B सीमा मिलकर अमेरिकी नौकरियों तक का पुल है। प्रवाह-चित्र बनाइए: F-1 → OPT → STEM विस्तार → H-1B। 4. मुख्य भाग — असली कमज़ोरी एक ही देश पर निर्भरता है — मूल्यवर्धन: जर्मनी, ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड के साथ गतिशीलता समझौते; देश में शोध-रोज़गार का निर्माण। 5. निष्कर्ष — गंतव्य बढ़ाइए और देश में अवसर गढ़िए — नियम पर वाशिंगटन से संवाद कीजिए और साथ ही गतिशीलता समझौतों का दायरा बढ़ाइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में आप इस प्रस्ताव पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? दृष्टिकोण (Approach): यह केवल एक प्रस्तावित नियम है, इसलिए मैं दूतावास के माध्यम से टिप्पणियाँ दाखिल करूँगा, जिनमें अमेरिकी शोध में भारतीय विद्यार्थियों के योगदान के आँकड़े होंगे। हमारे मिशन तथ्यात्मक परामर्श जारी करेंगे ताकि विद्यार्थी और कर्ज़दाता घबराएँ नहीं। आगे चलकर मैं गतिशीलता समझौतों के ज़रिए विद्यार्थियों के विकल्प बढ़ाऊँगा।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

एक वैश्विक सूचकांक कहता है कि वन्यजीवों की संख्या घटती ही जा रही है; पर भारत की प्रजातिवार गिनतियाँ बताती हैं कि जहाँ कोई इसकी कीमत चुकाता रहता है, वहाँ सुधार संभव है। सबक प्रशासनिक है, भावुक नहीं: प्रजातियाँ तब लौटती हैं जब कोई राज्य एक ही योजना को कई बजटों से पोषित करता है और उस आवास को साझा करने वाले लोगों को उससे लाभ मिलता है।

5.1 WWF के 73% वन्यजीव ह्रास के आँकड़ों के बीच तहर, गिद्ध और ड्यूगोंग की बढ़ती संख्या ने दिखाया कि संरक्षण कारगर हो सकता है

मुद्दा प्रजाति पुनर्प्राप्ति और बंदी प्रजनन (कडी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी थार में captive-bred (बंदी-प्रजनित) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड छोड़े जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट चीता में चीतों की संख्या 5 अक्टूबर को 60 तक पहुँच गई।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। विश्व वन्यजीव कोष (WWF) की द्विवार्षिक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 के अनुसार 1970 से 2022 के बीच निगरानी में रखी गई कशेरुकी प्रजातियों की आबादी का औसत आकार 73% घट गया। लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी द्वारा 35,803 आबादी-प्रवृत्तियों से तैयार यह सूचकांक सापेक्ष बहुलता मापता है, खोए हुए जानवरों की संख्या नहीं। मीठे पानी की आबादी 85%, स्थलीय 69% और समुद्री 59% घटी; फिर भी आधी आबादी स्थिर है या बढ़ रही है, और जंगली बाघ 2010 में 3,200 से बढ़कर 2025 में लगभग 5,700 हो गए। वन्यजीव सप्ताह पर The Hindu में लिखे लेख में तमिलनाडु सरकार की सुप्रिया साहू और IUCN इंडिया के यश वीर भटनागर भारत की उपलब्धियाँ गिनाते हैं: नीलगिरि तहर एक वर्ष में 1,303 से 1,364 हुए; मध्य प्रदेश में गिद्ध 2019 के 8,397 के मुकाबले 2025 में 12,981 रहे; 270 ड्यूगोंग; 718 हिम तेंदुए। उनका मत है कि सुधार के लिए बजटों, विज्ञान और समुदायों में राजनीतिक निरंतरता चाहिए।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

आवास की क्षति, डाइक्लोफेनाक और आकस्मिक मछली-फँसान प्रजातियों को कगार पर धकेलते हैं → 1972 का कानून सीधे शिकार को रोकता है → प्रजाति-योजनाएँ प्रजनन, सर्वेक्षण और सामुदायिक भूमिकाएँ जोड़ती हैं → राज्य निधियाँ और एक केंद्रीय योजना 24 प्रजातियों को सहारा देती हैं → वैश्विक सूचकांक गिरता रहता है, पर गिनतियाँ बढ़ती हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act) में अब चार अनुसूचियाँ हैं — 2022 के संशोधन ने छह अनुसूचियों को घटाकर चार किया: I (सर्वोच्च संरक्षण), II (अपेक्षाकृत कम संरक्षण), III (संरक्षित पौधे) और IV (CITES में सूचीबद्ध नमूने); हानिकारक जीवों (vermin) की अनुसूची हटा दी गई। नीलगिरि तहर, ड्यूगोंग और हिम तेंदुआ अनुसूची I में हैं; तमिलनाडु का राज्य पशु तहर IUCN की लाल सूची में संकटापन्न (Endangered) है। 2. लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और 30x30 अलग-अलग चीज़ें मापते हैं — WWF यह द्विवार्षिक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी के साथ मिलकर प्रकाशित करता है। जैव विविधता अभिसमय (CBD) के COP15 में दिसंबर 2022 में अपनाया गया कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा 2030 के लिए 23 लक्ष्य तय करता है; लक्ष्य 3, जिसे 30x30 कहा जाता है, देशों से 30% भूमि, अंतर्देशीय जल तथा तटीय एवं समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण की अपेक्षा करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. सुधार की कहानियाँ आँकड़ों के साथ GS3 का संरक्षण-विषय हैं — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण”। प्रारंभिक परीक्षा प्रजातियों की स्थिति और अनुसूचियों को वरीयता देती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने अनुसूचियों को छह से घटाकर चार किया और CITES में सूचीबद्ध नमूनों को अनुसूची IV में रखा। ● पश्चिमी घाट में तमिलनाडु और केरल की स्थानिक प्रजाति नीलगिरि तहर तमिलनाडु का राज्य पशु है। ● पशु-चिकित्सा में प्रयुक्त डाइक्लोफेनाक पर भारत में प्रतिबंध इसलिए लगा कि उपचारित शर्वा को खाने वाले गिद्धों के गुर्दे विफल हो जाते हैं। ● लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कशेरुकी आबादी की सापेक्ष बहुलता में औसत परिवर्तन को मापता है, खोई हुई प्रजातियों को नहीं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. 73% प्रवृत्तियों का औसत है, इसलिए निराशा और संतोष दोनों इसे गलत पढ़ते हैं — सूचकांक निगरानी वाली आबादियों के बदलाव की औसत गति निकालता है, इसलिए तीव्र गिरावट इसे नीचे खींच सकती है जबकि आधी आबादी स्थिर रहती है। बाघ और तहर की बढ़ती संख्या इसका खंडन नहीं करती। मीठे पानी की 85% गिरावट भारत के लिए असली चेतावनी है, जिसकी नदियों और आर्द्रभूमियों पर बड़े स्तनधारियों जितना ध्यान नहीं जाता।

	2. लैंस — केंद्र और राज्य: कानून केंद्र बनाता है, पर प्रजाति उबरेगी या नहीं, यह राज्य तय करते हैं — 1972 का अधिनियम और केंद्रीय योजनाएँ कानूनी कवच और कुछ धन देती हैं, पर भूमि-उपयोग, फील्ड स्टाफ, मछुआरों का मुआवज़ा और बजटों में निरंतरता राज्यों के चुनाव हैं। जोखिम यह है कि प्रजाति के विस्तार-क्षेत्र में संरक्षण असमान हो जाए, जैसे दो राज्यों में तहर के साथ; समझदार अधिकारी राज्य निधियों को साझा सर्वेक्षणों और अंतर-राज्यीय योजनाओं का सहारा देता है। 3. प्रजाति-प्रथम संरक्षण तब सबसे अच्छा चलता है जब वह आवासों और आजीविकाओं का द्वार बने — कोई आकर्षक जीव ऐसे बजट खींचता है जो उसके पूरे आवास की रक्षा करते हैं। पर कम-जाने प्रजातियों को धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और लाल सूची आकलन भारत के दस्तावेज़ीकृत पशुओं के केवल 7.2% को ही कवर करते हैं। जाल खाने पर ड्यूगोंग को मुक्त करने वाले मछुआरों को उसकी भरपाई देना टिकाऊ मॉडल दिखाता है: ऐसा संरक्षण जिसकी कीमत स्थानीय व्यक्ति को न चुकानी पड़े।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत में प्रजातियों की हालिया बहाली दिखाती है कि संरक्षण केवल कानून से नहीं, बल्कि राज्य स्तर की सतत प्रतिबद्धता से सफल होता है। परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कथन को पक्ष और विपक्ष के प्रमाणों से परखिए, फिर निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — वैश्विक गिरावट के बगल में स्थानीय सुधार — 73% के आँकड़े सामने बाध, तहर और गिद्ध की बढ़त। 3. मुख्य भाग — कानून रक्षा करता है, वित्तपोषित योजनाएँ बहाली लाती हैं — अनुसूची I ने गिद्धों को नहीं बचाया; डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध और पिंजौर में प्रजनन ने बचाया। 4. मुख्य भाग — राज्य का स्वामित्व योजनाओं को परिणामों में बदलता है — प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर, पाक खाड़ी ड्यूगोंग रिज़र्व। मूल्यवर्धन: KMGBF का लक्ष्य 3। 5. मुख्य भाग — कथन की सीमाएँ — मीठे पानी की हानि के लिए राष्ट्रीय, आवास-स्तरीय कार्रवाई चाहिए। एक चक्र बनाइए: कानून → वित्त → निगरानी → सामुदायिक लाभ। 6. निष्कर्ष — बजटों के पार निरंतरता — समयसीमाओं वाली राज्य योजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय लाल सूची।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. एक तटीय ज़िला वन अधिकारी के रूप में, मछुआरे कहते हैं कि जाल से ड्यूगोंग को मुक्त करने में उनका उपकरण नष्ट हो जाता है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सुनिश्चित करूँगा कि जाल का मुआवज़ा शीघ्र मिले, क्योंकि विलंबित दावा मछुआरों को चुप रहना सिखाता है। ड्यूगोंग को छोड़ने वालों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करूँगा और उन्हें समुद्री घास की निगरानी में शामिल करूँगा, तथा गश्त का निशाना सहयोगी मछुआरों को नहीं, विनाशकारी उपकरणों को बनाऊँगा।

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

कोविड-19 ने गरीब देशों को सिखाया कि वायरस का नमूना जल्दी साझा करने से उन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि टीके देर से पहुँचे। महामारी समझौता दुनिया की उसी सौदेबाजी को सुधारने की कोशिश है, और उसका अधूरा अनुलग्नक वह जगह है जहाँ यह सुधार सफल या विफल होगा; आयातित सामग्री पर निर्भर टीका-महाशक्ति भारत मेज़ के दोनों ओर बैठा है।

6.1 भारत से वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का आग्रह, जबकि महामारी समझौता अपने रोगाणु-साझाकरण अनुलग्नक की प्रतीक्षा में है

मुद्दा WHO Pandemic Agreement and global health (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित • विकास और समता

अब तक की कहानी कोविड-19 से टीकों की असमान उपलब्धता उजागर होने के बाद WHO के सदस्य देशों ने पहली वैश्विक महामारी संधि पर वार्ता की, जिसे 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनाया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। द हिंदू में लिखते हुए सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की प्रियदर्शिनी सिंह बताती हैं कि भारत ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की उच्चस्तरीय बैठक में महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर राजनीतिक घोषणा-पत्र पर अपनी बात रखी। WHO महामारी समझौता 2025 में 124 सदस्य देशों ने अपनाया, जिनमें भारत भी था; किसी ने विरोध नहीं किया और 11 अनुपस्थित रहे। यह अभी अनुसमर्थन के लिए खुला नहीं है, क्योंकि रोगाणु पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (Pathogen Access and Benefit-Sharing — PABS) पर अनुलग्नक की वार्ता अब भी चल रही है। PABS वह सौदा है जिसके अंतर्गत देश वायरस के नमूने और आनुवंशिक आकड़े जल्दी साझा करते हैं और बदले में गरीब देशों को उनसे बने टीकों और दवाओं का उचित हिस्सा मिलता है। अमेरिका ने घोषणा-पत्र को अस्वीकार कर दिया, उसकी आपत्ति PABS और महामारी घोषित करने में WHO की भूमिका पर थी। लेखिका का तर्क है कि भारत को वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहिए।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कोविड-19 के टीके पहले धनी देशों तक पहुँचते हैं → WHO के सदस्य संधि पर वार्ता करते हैं → उत्तर बाध्यकारी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विरोध करता है, दक्षिण बिना धन वाले 'वन हेल्थ' दायित्वों का → 2025 में संधि अपनाई जाती है और PABS अनुलग्नक के लिए छोड़ दिया जाता है → अनुसमर्थन प्रतीक्षा में है और अमेरिका बाहर रहता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- महामारी समझौता WHO की संधि है; अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम WHO के विनियम हैं — WHO संविधान का अनुच्छेद 19 विश्व स्वास्थ्य सभा को दो-तिहाई मत से अभिसमय अपनाने की शक्ति देता है; 20 मई 2025 को अपनाया गया महामारी समझौता इसी का उपयोग करता है और PABS अनुलग्नक अपनाए जाने के बाद ही हस्ताक्षर के लिए खुलेगा। अनुच्छेद 21 ऐसे विनियमों की अनुमति देता है जो सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हों, जब तक वे उनसे बाहर न हो जाएँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations — IHR), 2005। - आनुवंशिक संसाधनों के लिए पहुँच और लाभ-साझाकरण कानून में पहले से मौजूद है — जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत नागोया प्रोटोकॉल (2010) किसी देश के आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग के लिए पूर्व सूचित सहमति और उचित लाभ-साझाकरण अनिवार्य करता है। भारत इसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act) के जरिए लागू करता है, जिसके अंतर्गत विदेशी उपयोगकर्ताओं को चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्वीकृति लेनी होती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	वैश्विक स्वास्थ्य अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विषय है — पाठ्यक्रम में पढ़ा जाता है “महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, अभिकरण और मंच — उनकी संरचना और अधिदेश”। WHO की संधि-निर्माण प्रक्रिया और टीका समानता स्वास्थ्य को कूटनीति से जोड़ते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- WHO महामारी समझौता WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपनाया गया, जिसमें विश्व स्वास्थ्य सभा के दो-तिहाई मत की आवश्यकता होती है। - अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) सभी WHO सदस्यों पर बाध्यकारी हैं जब तक वे उन्हें अस्वीकार न कर दें, और उनके 2024 के संशोधनों ने “महामारी आपातकाल” की एक श्रेणी बनाई। - भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, भारतीय जैविक संसाधनों तक विदेशी पहुँच को स्वीकृति देता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- PABS नमूनों और सुराकों की अदला-बदली है, और इसका मूल्य तय हिस्से में निहित है — वायरस की सूचना देने वाले देश को यात्रा-प्रतिबंध झेलने पड़ते हैं, फिर भी किसी नियम के बिना उसे उन टीकों से कुछ नहीं मिलता जो उसके नमूने से संभव हुए। PABS गरीब देशों के लिए उत्पादन का एक हिस्सा सुरक्षित करके साझा करने को फ़ायदे का सौदा बनाता है; यदि वह हिस्सा स्वैच्छिक या छोटा रहा, तो जल्दी साझा करने की प्रेरणा ही दब जाएगी। - लेंस — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संपदा: भारत को सौदे के दोनों पक्षों से लाभ है —

	महामारी संबंधी जानकारी वैश्विक साझी संपदा है, पर हर राज्य अपने नमूनों और संप्रभुता की रक्षा करता है। भारत बड़े पैमाने पर टीके बनाता है, इसलिए वह नमूनों तक खुली पहुँच चाहता है; वह विदेशी पेटेंट और आयातित सक्रिय औषधि घटकों (API) पर निर्भर है, इसलिए वह लाभ-साझाकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गारंटी भी चाहता है। एक विवेकशील अधिकारी बाध्यकारी और धन-समर्थित PABS का पक्ष लेगा: कोविड जैसी एक और कतार से भारत को साझा करने के दायित्वों से अधिक नुकसान होगा। 3. अमेरिका के बिना, व्यवस्था का आकर्षण इस पर निर्भर है कि मध्यम शक्तियाँ क्या रचती हैं — सबसे बड़ी दवा-शक्ति के बाहर रहने पर H20 शिखर सम्मेलन जैसे समूह और 2023 की भारत की वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पहल अधिक मायने रखती हैं। आलोचक सबसे बड़े खिलाड़ी के बिना संधि को प्रतीकात्मक कहते हैं; परंतु इच्छुक देशों के बीच जो लाभ-साझाकरण वास्तव में काम करता है, वह अपना आकर्षण स्वयं पैदा करता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	रोगाणु पहुँच एवं लाभ-साझाकरण WHO महामारी समझौते का अधूरा केंद्रीय हिस्सा है। भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए इसके महत्व की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	- निर्देश — चर्चा कीजिए — कई पक्षों को तौलिए; अपना मत बनाइए। - भूमिका — अपनाई गई संधि, लंबित अनुलग्नक — 2025 में 124 मत; अनुसमर्थन PABS की प्रतीक्षा में है। - मुख्य भाग — PABS कोविड की टूटी सौदेबाज़ी को ठीक करता है — नमूने तेज़ी से साझा हों, खुराकें ग़रीब देशों के लिए सुरक्षित रहें। चक्र बनाइए: नमूना → आँकड़े → टीका → सुरक्षित हिस्सा। - मुख्य भाग — भारत को निर्माता और आयातक दोनों रूपों में लाभ — विदेशी पेटेंट, आयातित API। मूल्यवर्धन: नागोया प्रोटोकॉल। - मुख्य भाग — मतभेद की रेखाएँ बनी हुई हैं — 'वन हेल्थ' का वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अमेरिका का अस्वीकार। - निष्कर्ष — घरेलू उदाहरण से नेतृत्व कीजिए — न्यायसंगत राष्ट्रीय नियम भारत को विदेश में साख देते हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य के स्वास्थ्य सचिव के रूप में, एक प्रयोगशाला नए रोगाणु का पता लगाती है। एक सहकर्मी कहता है कि लाभ सुनिश्चित होने तक साझा करना टाल दिया जाए। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं राष्ट्रीय IHR नोडल केंद्र के माध्यम से तुरंत सूचना दूँगा, क्योंकि देरी से जानें जाती है और यह एक बाध्यकारी दायित्व का उत्प्लंघन है। लाभ-साझाकरण संघ की वार्ता का विषय है, किसी राज्य की प्रयोगशाला का सौदा नहीं; मैं नमूने के मूल का अभिलेख रखूँगा ताकि भारत का दावा स्पष्ट रहे।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

दोनों खबरें अदृश्य असमरूपताओं (असममिति) की हैं जिनके परिणाम बहुत साफ़ दिखते हैं। किसी अणु की 'हस्तता' तय करती है कि दवा चंगा करेगी या नुकसान पहुँचाएगी, और जो क्वांटम कंप्यूटर अभी बना ही नहीं, वह आज चुराए जा रहे बैंक डेटा के लिए पहले से खतरा है। दोनों मामलों में भारत का जोखिम विज्ञान में कम, इस बात में अधिक है कि कीमत सामने आने से पहले उसका उद्योग और नियामक तैयारी करते हैं या नहीं।

7.1 रसायन नोबेल 2026 कागन और सोई को: आणविक हस्तता को बनाने और प्रवर्धित करने की खोज पर सम्मान

सूदा अग्रणी विज्ञान और भारत (कडी 3) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी: दर्पण भारतीय शोध के लिए सबक खोजने हेतु 2026 के विज्ञान नोबेल पुरस्कारों पर नज़र रखता है: चिकित्सा का पुरस्कार ऑप्टोजेनेटिक्स को मिला, और भौतिकी का IceCube न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए फ्रांसिस हेल्ज़न को।

समाचार (THE NEWS) स्टॉकहोम, 7 अक्टूबर। 2026 का रसायन नोबेल फ्रांस के यूनिवर्सिटी पेरिस-सुद के 95 वर्षीय हेनरी बी. कागन और टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के 76 वर्षीय केनसो सोई को “असममित कार्बनिक संश्लेषण में अरैखिक प्रभावों और स्वतःउत्प्रेरण की खोज के लिए” दिया गया है। अनेक अणु काइरल होते हैं: वे दो दर्पण-प्रतिबिंब रूपों में मिलते हैं, जैसे बायाँ और दायाँ हाथ। 1986 में कागन की टीम ने दिखाया कि किसी एक हस्तता की ओर केवल थोड़ा झुका उत्प्रेरक उत्पाद को अपेक्षा से कहीं अधिक उसी ओर झुका सकता है। लगभग एक दशक बाद सोई ने ऐसी अभिक्रिया खोजी जिसमें काइरल उत्पाद स्वयं अपने और अधिक उत्पाद का उत्प्रेरण करता है, और अंत में 99.5% एक ही रूप मिलता है। एंजाइम और रिसेप्टर काइरल होते हैं, इसलिए किसी दवा के दोनों रूप अलग-अलग ढंग से काम कर सकते हैं। 1950 के दशक के अंत की शामक दवा थैलिडोमाइड ने 46 देशों में जन्म-दोष पैदा किए; उसका एक रूप हानिकारक था। जो दवाएँ पहले मिश्रण के रूप में बनती थीं और महँगी विधि से अलग की जाती थीं, वे अब सीधे वांछित रूप में बनाई जाती हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

जीवन अमीनो अम्लों और शर्कराओं का एक ही हाथ इस्तेमाल करता है → प्रयोगशाला की अभिक्रियाएँ दोनों हाथ बराबर देती हैं → थैलिडोमाइड दिखाता है कि गलत हाथ अपंग कर सकता है → कागन दिखाते हैं कि उत्प्रेरक का छोटा झुकाव प्रवर्धित होता है, सोई दिखाते हैं कि उत्पाद अपना हाथ स्वयं दोहरा सकता है → दवाएँ और कृषि-रसायन एकल रूप में बनते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	काइरैलिटी: वही परमाणु, दर्पण-सा विन्यास, अलग जीव-विज्ञान — प्रतिबिंब-समावयवी (Enantiomers) का सूत्र और आबंधन एक ही होता है, पर वे एक-दूसरे पर अध्यारोपित न होने वाले दर्पण-प्रतिबिंब हैं; 50:50 मिश्रण रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। समरूप-हस्तता (Homochirality) जीवन द्वारा एक ही रूप का उपयोग है, जैसे प्रोटीनों में अमीनो अम्ल। 2001 का रसायन नोबेल नोल्स, नोयोरी और शार्पलेस को काइरल उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए मिला था। भारत की थोक औषधि नीति वह जगह है जहाँ रसायन आत्मनिर्भरता से मिलता है — सक्रिय औषधि घटक (APIs) वे रसायन हैं जिनसे दवा काम करती है, और भारत इनमें से कई आयात करता है। 2020 में स्वीकृत महत्वपूर्ण प्रमुख आरंभिक सामग्रियों, औषधि मध्यवर्तियों और APIs के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना वृद्धिशील घरेलू बिक्री पर प्रोत्साहन देती है; एक समानांतर योजना थोक औषधि पार्कों को सहारा देती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	नोबेल विज्ञान GS3 का जागरूकता-विषय है, जिसमें नीति की कडी है — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जागरूकता”। परीक्षक अवधारणा और उसका उपयोग पूछते हैं, जीवनी नहीं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ द्वारा दिया जाता है। - प्रतिबिंब-समावयवी (Enantiomers) किसी काइरल अणु के अध्यारोपित न होने वाले दर्पण-प्रतिबिंब रूप हैं; दोनों का बराबर मिश्रण रेसेमिक कहलाता है। - स्वतःउत्प्रेरण में अभिक्रिया का उत्पाद उसी अभिक्रिया के उत्प्रेरक की तरह काम करता है। 1950 के दशक के अंत की शामक दवा थैलिडोमाइड से फोकोमेलिया हुआ, जो ऐसा जन्म-दोष है जिसमें अंग छोटे या अनुपस्थित होते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	पुरस्कार प्रवर्धन का सम्मान है, और इसी से रसायन उद्योग बनता है — पूर्णतः शुद्ध उत्प्रेरक बनाना महँगा है, इसलिए कागन की यह खोज कि थोड़ा झुका उत्प्रेरक भी तीव्र रूप से झुका उत्पाद दे सकता है, एकल-रूप निर्माण को किफायती बनाती है। सोई की स्वतः-प्रतिलिपि वाली अभिक्रिया दिखाती है कि संयोग से बना छोटा असंतुलन कैसे बर्फ के गोले की तरह बढ़ सकता है, जो जीवन की एकल-हस्तता का एक संभावित मार्ग है, यद्यपि प्रमाण नहीं।

	2. लेंस — नवाचार और सुरक्षा-उपाय: काइरल सटीकता नियामकों के मानक ऊँचे करती है — एक रूप को सीधे बनाना सस्ता और अधिक हरित है, पर थैलिडोमाइड का सबक यह है कि दूसरे रूप की भी जाँच होनी चाहिए, और IE के अनुसार थैलिडोमाइड के दोनों रूप शरीर में एक-दूसरे में बदल जाते हैं। इसलिए नियामक को केवल सक्रिय घटक पर नहीं, दोनों रूपों और शुद्धता पर भी आँकड़े माँगने चाहिए। 3. भारत के लिए लाभ API रसायन में है, फॉर्मूलेशन में नहीं — भारत की जेनेरिक दवाओं की ताकत काफी हद तक आयातित सामग्री से दवाओं को अंतिम रूप देने में है। असममित संश्लेषण के लिए उन्नत उत्प्रेरक, प्रक्रिया-रसायनज्ञ और गुणवत्ता तंत्र चाहिए, वही क्षमता जिसे PLI बनाना चाहती है। इसके बिना भारत सबसे कठिन और सबसे अधिक लाभ वाले चरण के लिए दूसरों को भुगतान करता रहेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	समझाइए कि दवा के अणु की “हस्तता” क्यों मायने रखती है, और असममित संश्लेषण सक्रिय औषधि घटकों में भारत की आत्मनिर्भरता को कैसे मज़बूत कर सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — समझाइए — अवधारणा स्पष्ट कीजिए, फिर उसे नीति से जोड़िए। 2. भूमिका — एक अणु, दो हाथ — काइरैलिटी की परिभाषा दीजिए; 2026 के नोबेल का उल्लेख कीजिए। 3. मुख्य भाग — गलत हाथ नुकसान कर सकता है — थैलिडोमाइड; काइरल एंजाइम और रिसेप्टर। दो दर्पण-अणुओं का रिसेप्टर में बैठना या न बैठना चित्र से दिखाइए। 4. मुख्य भाग — सीधा संश्लेषण सस्ता और स्वच्छ है — कागन का प्रवर्धन और सोई का स्वतःउत्प्रेरण महंगे पृथक्करण की जगह लेते हैं। मूल्यवर्धन: 2001 के नोबेल की परंपरा। 5. मुख्य भाग — भारत को API रसायन की ओर बढ़ना होगा — थोक औषधियों की PLI और थोक औषधि पार्कों को उत्प्रेरण-कौशल चाहिए। 6. निष्कर्ष — रणनीतिक क्षमता के रूप में रसायन — शोध-निधि के साथ एकल-रूप दवाओं की कठोर जाँच को जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य औषधि नियंत्रक के रूप में, एक कंपनी काइरल दवा के लिए नई असममित विधि अपनाती है। आप क्या जाँचेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पूछूँगा कि उत्पाद की शुद्धता और अवांछित रूप का अनुपात स्वीकृत विनिर्देश से मेल खाता है या नहीं। यदि अशुद्धि-प्रोफ़ाइल बदली है, तो जारी करने से पहले नए स्थिरता और जैव-समतुल्यता आँकड़े माँगूँगा। सस्ता रसायन स्वागत-योग्य है; बिना जाँचा बदलाव नहीं।

7.2 वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण अवसंरचना घोषित होने के बाद बैंकों को क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन योजना बनाने का निर्देश

मुद्दा Quantum computing and cyber security (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी क्वांटम कंप्यूटर, जो अभी अपरिपक्व हैं, किसी दिन उस सार्वजनिक-कुंजी एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग की रक्षा करता है; भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन उनके विकास को निधि देता है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्र-व्यापी क्वांटम संक्रमण एवं अंगीकरण रणनीति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता लचीलापन ढाँचा विकसित करें, क्योंकि बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया गया है, द इकोनॉमिक टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के अधीन एक कार्य-समूह इसकी जाँच कर रहा है, और वित्त मंत्रालय ने बैंकों से पोस्ट-क्वांटम कमज़ोरियों का आकलन करने को कहा है। मुख्य आशंका “अभी बटोरो, बाद में खोलो” (harvest now, decrypt later) की है: हमलावर आज एन्क्रिप्टेड बैंकिंग डेटा की प्रतिलिपि बना लेते हैं और उसे पढ़ सकने वाले क्वांटम कंप्यूटरों की प्रतीक्षा करते हैं। मई में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की रिपोर्ट “क्वांटम-सुरक्षित पारितंत्र: भारत” ने कहा कि मंत्रालयों और नियामकों को 2027 तक महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्ति भंडार बना लेने चाहिए। सितंबर में PwC ने कहा कि बैंकों को तुरंत पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफ़ी की ओर प्रवास शुरू कर देना चाहिए।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बैंकिंग सार्वजनिक-कुंजी एन्क्रिप्शन पर चलती है → क्वांटम एलोरिस्म भविष्य में उसे तोड़ सकते हैं → विरोधी अभी एन्क्रिप्टेड डेटा बटोर रहे हैं → BFSI को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया गया → बैंकों को क्रिप्टोग्राफ़ी की सूची बनाने और प्रवास की योजना बनाने का निर्देश

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) महत्वपूर्ण तंत्रों को विशेष कानूनी कवच देता है — धारा 70 सरकार को यह अधिकार देती है कि महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को प्रभावित करने वाले किसी कंप्यूटर संसाधन को संरक्षित तंत्र घोषित करे, जिसमें अनधिकृत पहुँच पर दस वर्ष तक का दंड है। धारा 70A राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र को नोडल एजेंसी बनाती है, और धारा 70B CERT-In को साइबर घटना-प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी बनाती है। 2. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन वही क्षमता बनाता है जो खतरा पैदा करती है — अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 से 2030-31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ के साथ स्वीकृत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन यह मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, संवेदन और सामग्री को निधि देता है। क्वांटम-सुरक्षित प्रवास उसका रक्षात्मक जुड़वाँ है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. वित्तीय तंत्र की साइबर सुरक्षा GS3 का पसंदीदा विषय है — पाठ्यक्रम “साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें” पृच्छता है। क्वांटम जोखिम समय का आयाम जोड़ता है: डेटा को वर्षों तक सुरक्षित रहना है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70A के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा की नोडल एजेंसी है। ● अगस्त 2024 में अमेरिकी राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (NIST) ने अपने पहले पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मानक प्रकाशित किए। ● बड़े क्वांटम कंप्यूटर पर चलाया गया शोर का एल्गोरिथ्म उन बड़ी संख्याओं का गुणनखंडन कर सकता है जिन पर RSA एन्क्रिप्शन टिका है। ● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत CERT-In घटना-प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. समय-सीमा क्वांटम कंप्यूटरों के आने से नहीं, डेटा के जीवनकाल से तय होती है — ऋण-अभिलेख और पहचान-डेटा दशकों तक संवेदनशील रहते हैं, इसलिए अभी चुराया गया डेटा तब भी उजागर होगा जब कभी डिक्विप्शन संभव होगा। यदि प्रवास में वर्ष लगते हैं और डेटा को वर्षों तक गोपनीय रहना है, तो घड़ी पहले ही चल पड़ी है। इसीलिए सबसे पहले यह सूची बनती है कि क्रिप्टोग्राफी कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है। 2. लेंस — नवाचार और सुरक्षा-उपाय: कोई एक क्षेत्र अकेले प्रवास नहीं कर सकता — बैंक भुगतान नेटवर्कों, बीमाकर्ताओं और सरकारी तंत्रों से जुड़े हैं, इसलिए कहीं की भी कमजोर कड़ी सबको उजागर करती है, जैसा चिंताओं के ET के सार में कहा गया है। नियामकों द्वारा तय साझा मानक असंगत चयनों से बचाता है। उलटा जोखिम अपरिपक्व एल्गोरिथ्मों की ओर हड़बड़ी में बदलाव का है; समझदार अधिकारी प्रवास को चरणबद्ध करता है और सबसे लंबे जीवन वाले डेटा से शुरू करता है। 3. बैंकों को अनौपचारिक रूप से निर्देश देना जवाबदेही को कमजोर करता है — यह निर्देश प्रकाशित अधिसूचना के बजाय अनाम अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट हुआ है। विनियमित संस्थाएँ RBI के नियमों के प्रति उत्तरदायी होती हैं; स्पष्ट, सार्वजनिक समय-सीमाएँ निर्देशक मंडलों को बजट बनाने और लेखा-परीक्षकों को प्रगति जाँचने देंगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“अभी बटोरो, बाद में खोलो” का खतरा क्या है? परीक्षण कीजिए कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र को पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ओर प्रवास अभी क्यों शुरू करना चाहिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — पहले खतरा समझाइए, फिर अभी कदम उठाने के पक्ष को परखिए। 2. भूमिका — आज की चोरी, कल की डिक्विप्शन — HNDEL की परिभाषा एक पंक्ति में दीजिए। 3. मुख्य भाग — लंबे जीवन वाला डेटा जोखिम को वर्तमान बनाता है — प्रवास का समय और गोपनीयता की अवधि मिलकर क्वांटम-क्षतिज से अधिक हो जाते हैं। मूल्यवर्धन: DST का 2027 का भंडार-लक्ष्य। समय-रेखा बनाइए। 4. मुख्य भाग — परस्पर जुड़े तंत्रों को साझा मानक चाहिए — धारा 70 के अंतर्गत CII का दर्जा; NIST के 2024 के मानक। 5. निष्कर्ष — पहले सूची, फिर चरणबद्ध प्रवास — सार्वजनिक समय-सीमाओं वाला RBI-नेतृत्व का रोडमैप।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में, आप कहाँ से शुरू करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सार्वजनिक-कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने वाले हर तंत्र की सूची बनाऊँगा, जिसे इस आधार पर क्रमबद्ध करूँगा कि उसके डेटा को कितने समय तक गोपनीय रहना है। लंबे जीवन वाले अभिलेख सबसे पहले मानकीकृत पोस्ट-क्वांटम एल्गोरिथ्मों पर जाएँगे, जिन्हें मौजूदा के साथ परखा जाएगा। मैं प्रगति की सूचना बोर्ड को जोखिम-मापक के रूप में दूँगा।

8. समाज (Society)

भारत ने दिव्यांगजनों के लिए दुनिया के बेहतर कानूनों में से कुछ लिखे हैं, पर फिर उन्हें काउंटर पर बैठे कर्मचारी की सदाशयता के भरोसे छोड़ दिया। हवाई यात्रा में यह अंतर साफ़ दिखता है: बाज़ार हर साल बढ़ रहा है, फिर भी एक दृष्टिबाधित यात्री आज भी केबिन क्यू को बुला नहीं सकता। जो अधिकार डिज़ाइन में गुंथे नहीं होते, वे एहसान बनकर रह जाते हैं।

8.1 सर्वोच्च न्यायालय ने सुलभ हवाई यात्रा की “प्रणालीगत विफलता” पर केंद्र से जवाब माँगा

मुद्दा Accessibility and the rights of persons with disabilities (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act) सुलभ परिवहन और सेवाओं की अपेक्षा करता है। नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव रातुरी मामले में कहा कि सुगम्यता के मानक अनिवार्य और बाध्यकारी होने चाहिए, केवल दिशानिर्देश नहीं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार, 7 अक्टूबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और डिजी यात्रा फ़ाउंडेशन को नोटिस जारी किया। नोटिस का अर्थ केवल इतना है कि इन्हें जवाब देना है; अभी कुछ तय नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता मुंबई के कंपनी सचिव और अधिवक्ता तुराब चिमटानावाला को लेबर कंजेंटिल एमॉरोसिस नामक वशानुगत नेत्र रोग है, जिससे गंभीर दृष्टिहानि होती है। उनके अधिवक्ता ने कहा कि तीसरे सबसे बड़े विमानन बाज़ार भारत में हर साल 35 करोड़ से अधिक यात्री उड़ान भरते हैं; जनगणना 2011 की 2.21% दिव्यांगता दर मानें तो यह हर साल 70 लाख से अधिक दिव्यांग यात्री बैठते हैं। याचिका में गिनाया गया है कि दृष्टिबाधित यात्रियों को व्हीलचेयर या एम्बुलिफ्ट में बैठने को मजबूर किया जाता है, विमान के भीतर की प्रणालियों में सुगम्यता सेटिंग नहीं है, “मूक हवाई अड्डों” पर श्रव्य या दृश्य चेतावनी नहीं है, ऐप स्क्रीन रीडर से चलते नहीं, और शिकायत निवारण का कोई रास्ता नहीं है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2016 का अधिनियम सुलभ परिवहन का वादा करता है → नियम मानकों को दिशानिर्देश भर रहने देते हैं → राजीव रातुरी (2024) अनिवार्य मानकों का आदेश देता है → हवाई यातायात बढ़ता है पर व्यवहार पिछड़ा रहता है → जनहित याचिका प्रणालीगत विफलता का आरोप लगाती है और न्यायालय नोटिस जारी करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

- 1. RPwD अधिनियम, 2016 सुगम्यता को विधिक कर्तव्य बनाता है** — दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धाराएँ 40 से 46 सुगम्यता से संबंधित हैं: केंद्र भौतिक परिवेश, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी के मानक बनाता है (धारा 40), सरकारें परिवहन को सुलभ बनाने को बाध्य हैं (धारा 41) और सेवा प्रदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन करना है (धारा 46)। अधिनियम 21 दिव्यांगताओं को मान्यता देता है; “बेंचमार्क दिव्यांगता” वह है जो कम-से-कम 40% हो।
- 2. भारत संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय से बंधा है** — भारत ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय (UNCRPD) की पुष्टि की, और 2016 का अधिनियम उसी को लागू करने के लिए पारित हुआ। अभिसमय का अनुच्छेद 9 राज्यों पर यह दायित्व डालता है कि वे परिवहन, सूचना और सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करें। यह दिव्यांगता को केवल शारीरिक क्षति नहीं, बल्कि सामाजिक बाधाओं को परिणाम मानता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. GS2 में वंचित वर्गों के लिए कानून और निकाय आते हैं** — पाठ्यक्रम में इन वंचित वर्गों की “सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय” का उल्लेख है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धाराएँ 40 से 46 भवनों, परिवहन, सूचना और सेवाओं की सुगम्यता से संबंधित हैं।
- RPwD अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति में किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम-से-कम 40% होता है; अधिनियम 21 दिव्यांगताएँ सूचीबद्ध करता है।
- संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय का अनुच्छेद 9 सुगम्यता से संबंधित है; भारत ने 2007 में इस अभिसमय की पुष्टि की।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. गिनाई गई विफलताएँ डिज़ाइन के चुनाव हैं, संयोग नहीं** — जो ऐप ज़ोर से पढ़ा नहीं जा सकता, या जिस सीट-स्क्रीन में ऑडियो मोड नहीं है, उस वैसा ही बनाया गया था। शुरू में सही डिज़ाइन करना सस्ता पड़ता है; बाद में सुधारना महंगा। इसीलिए अधिनियम कर्मचारियों की भलमनसाहत पर निर्भर रहने के बजाय मानक तय करता है।
- 2. लेंस — स्वतंत्रता और व्यवस्था: सुरक्षा नियमों का इस्तेमाल स्वावलंबन छीनने के लिए हो रहा है** — एम्बुलिफ्ट और व्हीलचेयर को प्रायः सुरक्षा उपाय बताकर उचित ठहराया जाता है, और कुछ यात्रियों को सचमुच उनकी ज़रूरत होती है। परंतु सीढ़ियाँ चढ़ सकने वाले दृष्टिबाधित

	व्यक्ति को व्हीलचेयर में बैठाना दिव्यांगता को अक्षमता मान लेना है और चुनने की स्वतंत्रता छीन लेना है। कसौटी आनुपातिकता है: एक विवेकशील अधिकारी चेक-इन पर यात्री की अपनी घोषणा को आधार बनाएगा और उसे केवल दर्ज किए गए सुरक्षा कारण से ही पलटेगा। 3. बहुत सारी एजेंसियाँ होने का मतलब है कि समस्या का कोई मालिक नहीं — पाँच निकायों को नोटिस इसलिए मिला कि एक ही यात्रा हवाई अड्डे, सुरक्षा, डिजी यात्रा और एयरलाइन से होकर गुजरती है, और सबके अपने नियम हैं। दिव्यांग यात्री के पास शिकायत करने की कोई एक जगह नहीं है। संभव है कि न्यायालय को DGCA को पूरी यात्रा के लिए उत्तरदायी बनाना पड़े, जिसमें एक शिकायत खिड़की हो और अंकेक्षण प्रकाशित किए जाएँ।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	सुगम्यता के बिना दिव्यांगजनों के अधिकार कागज़ों में ही सिमटे रहते हैं। भारत के तेज़ी से बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — कथन को समझाइए, फिर उसे विमानन पर कसकर परखिए। 2. भूमिका — हर साल सत्तर लाख दिव्यांग यात्री — याचिका का अनुमान और न्यायालय का नोटिस। 3. मुख्य भाग — कागज़ पर कानून मज़बूत है — RPwD अधिनियम की धाराएँ 40-46, UNCRPD का अनुच्छेद 9। मूल्यवर्धन: राजीव रातुरी (2024) ने सुगम्यता मानकों को अनिवार्य बनाया। 4. मुख्य भाग — यात्रा के हर चरण पर क्रियान्वयन विफल होता है — प्रवाह-चित्र बनाइए: बुकिंग ऐप → चेक-इन → सुरक्षा जाँच → बोर्डिंग → उड़ान के दौरान → शिकायत, और हर चरण की बाधा चिह्नित कीजिए। 5. निष्कर्ष — एक जवाबदेह नियामक और डिज़ाइन-स्तर के मानक — सुगम्यता अंकेक्षण और एक ही शिकायत खिड़की।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. एक हवाई अड्डे के निदेशक के रूप में, एक दृष्टिबाधित यात्री शिकायत करता है कि उसे जबर्न व्हीलचेयर में बैठाया गया। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं क्षमा माँगूँगा, शिकायत दर्ज करूँगा और पता लगाऊँगा कि यह निर्णय किसने लिया। मैं स्थायी निर्देश जारी करूँगा कि सहायता प्रस्तावित की जाए, थोपी न जाए, और यह यात्री की अपनी घोषणा पर आधारित हो। मैं दिव्यांगजनों के समूहों के साथ मिलकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दूँगा और शिकायतों तथा की गई कार्रवाई के मासिक आँकड़े प्रकाशित करूँगा।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

किसी वायुसेना की ताकत इससे नहीं आँकी जाती कि उसका सबसे अच्छा विमान कैसा है, बल्कि इससे कि किसी बुरे दिन वह कितने विमान आसमान में उतार सकती है। भारत का लड़ाकू बेड़ा बरसों से सिकुड़ रहा है, क्योंकि पुराने जेट नए जेटों के आने से तेज़ी से सेवामुक्त हो रहे हैं, और सबसे धीमी कड़ी वह इंजन है जिसे भारत आज भी आयात करता है। आत्मनिर्भरता अब डिज़ाइन से अधिक उत्पादन की समस्या है।

9.1 94वें वायुसेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख ने तेजस में देरी की ओर इशारा किया; GE के इंजनों की आपूर्ति स्थिर हुई

मुद्दा Air power and defence indigenisation (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन स्वीकृत हैं, पर मिग-21 और अन्य पुराने जेटों के सेवामुक्त होने से संख्या इससे काफी नीचे बनी हुई है। तेजस जैसे स्वदेशी विमानों से यह कमी भरने की अपेक्षा थी, पर वे धीमी गति से आए हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। PTI के अनुसार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ (8 अक्टूबर) की पूर्व संध्या पर, इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि वायुसेना “सही दिशा” में बढ़ रही है, पर “थोड़ी और तेज़ हो सकती है”; उसे “अधिक क्षमता, तेज़ भर्ती (इंडक्शन) और अधिक युद्धक संख्या” चाहिए। उन्होंने कहा कि वायुसेना “प्लेटफॉर्म-केंद्रित” से “क्षमता-केंद्रित” दृष्टिकोण की ओर बढ़ी है, जो ऑपरेशन सिंदूर में सिद्ध हुआ, और LCA Mk-1A में देरी की ओर संकेत किया। आउटलुक के अनुसार, 3 अक्टूबर की अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 42 स्वीकृत स्क्वाड्रनों के मुकाबले 29 परिचालन-योग्य लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, GE एयरोस्पेस ने पिछले महीने HAL को चार इंजन सेट भेजे और HAL को 2027 से प्रति वर्ष 20 से अधिक इंजन मिलने की आशा है। 99 F404 इंजनों के 70 करोड़ डॉलर के ऑर्डर की आपूर्ति, जो 2024 से होनी थी, खिसक गई; ET को सूत्रों ने बताया कि GE पर जुर्माना लगाया गया है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मिग-21 अपनी जगह लेने वाले विमानों के आने से भी तेज़ी से सेवामुक्त हो रहे हैं → स्क्वाड्रन 42 के मुकाबले 29 रह जाते हैं → तेजस Mk-1A आयातित F404 इंजनों के कारण अटका है → जुर्माने के बाद GE की आपूर्ति स्थिर होती है → HAL F414 की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहता है और भारत अपना इंजन

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 भारतीय डिज़ाइन के उपकरणों को पहली प्राथमिकता देती है — रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure — DAP) 2020 अधिग्रहण की श्रेणियों को प्राथमिकता-क्रम में रखती है, जिसमें सबसे ऊपर ‘खरीदे (भारतीय-IDDM)’ यानी स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित, और सबसे नीचे ‘खरीदे (वैश्विक)’ है। IDDM के लिए कम-से-कम 50% स्वदेशी सामग्री आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ भी अधिसूचित करता है, जिनमें दर्ज वस्तुएँ निर्धारित तिथियों के बाद आयात नहीं की जा सकती; अगस्त 2020 की पहली सूची में 101 वस्तुएँ थीं।
2. तेजस का डिज़ाइन ADA ने बनाया है और निर्माण HAL करती है — हल्का लड़ाकू विमान तेजस रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अधीन वैमानिकी विकास अभिकरण (Aeronautical Development Agency) द्वारा डिज़ाइन किया गया है और बेंगलुरु स्थित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित है। यह अमेरिकी GE F404 इंजन से उड़ता है; Mk-2 में अधिक शक्तिशाली GE F414 लगना है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 सुरक्षा को स्वदेशीकरण से जोड़ता है — पाठ्यक्रम में “प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास” शामिल है; स्क्वाड्रनों की घटती संख्या इसकी सीधी परीक्षा है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- DAP 2020 के अंतर्गत ‘खरीदे (भारतीय-IDDM)’ सर्वोच्च प्राथमिकता वाली अधिग्रहण श्रेणी है; IDDM का अर्थ है स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित (Indigenously Designed, Developed and Manufactured)।
- तेजस हल्के लड़ाकू विमान का डिज़ाइन वैमानिकी विकास अभिकरण ने बनाया है और उसका उत्पादन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है।
- भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर, 1932 को हुई थी, जिसे वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) भारत का प्रस्तावित पाँचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. स्क्वाड्रनों की कमी उत्पादन-दर की समस्या है — भारत लड़ाकू विमान डिज़ाइन कर सकता है; कठिनाई हर साल पर्याप्त संख्या में उन्हें बनाने की है। पुराने जेटों के सेवामुक्त होते रहने पर गिरावट रोकने भर के लिए भी भर्ती की रफ़्तार सेवामुक्ति से तेज़ होनी चाहिए। यह HAL की

	उत्पादन लाइनों, उसके आपूर्तिकर्ताओं और सबसे बढ़कर समय पर पहुँचने वाले इंजनों पर निर्भर है। 2. लेंस — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: विदेशी हृदय वाला भारतीय जेट आधा ही स्वतंत्र है — तेजस भारतीय है, पर उसकी देरी एक अमेरिकी इंजन-निर्माता की आपूर्ति शृंखला से आई, और Mk-2 में भी लाइसेंस के अंतर्गत बना GE का इंजन ही लगेगा। इस प्रकार रफ्तार विदेशी आपूर्तिकर्ता तय करता है। एक विवेकशील अधिकारी बेड़े को मजबूत रखने के लिए फ़िलहाल लाइसेंस प्राप्त इंजन और एक विदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान स्वीकार करेगा, और साथ ही दीर्घकाल के लिए स्वदेशी इंजन को लगातार धन देता रहेगा। 3. अभी विदेश से खरीदना और आगे देश में बनाना एक-दूसरे को काटें नहीं — बड़ी संख्या में विदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने से कमी जल्दी भरती है, पर धन और ऑर्डर भारतीय कार्यक्रमों से हट जाते हैं। रास्ता यह है कि विदेशी खरीद को स्थानीय निर्माण से जोड़ा जाए और तेजस के लिए पक्के, दीर्घकालिक ऑर्डर सुनिश्चित किए जाएं ताकि HAL और निजी आपूर्तिकर्ता निवेश कर सकें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत की लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या अपने स्वीकृत स्तर से काफ़ी नीचे गिर गई है। स्वदेशीकरण इस अंतर को किस सीमा तक पाट सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस सीमा तक — सीमाओं सहित आँकिए कि स्वदेशीकरण कहाँ तक जा सकता है। 2. भूमिका — 42 स्वीकृत के मुकाबले 29 स्क्वाड्रन — आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख द्वारा 3 अक्टूबर को बताया गया आँकड़ा रखा। 3. मुख्य भाग — सेवामुक्ति भर्ती से आगे निकल गई — मिग-21 की विदाई और तेजस Mk-1A के इंजन में देरी। सेवामुक्ति बनाम भर्ती का ग्राफ़ बनाइए। 4. मुख्य भाग — स्वदेशीकरण डिज़ाइन में कारगर है, इंजन और गति में अभी नहीं — मूल्यवर्धन: DAP 2020 की 'खरीदें (भारतीय-IDDM)' प्राथमिकता; F404 में देरी। 5. निष्कर्ष — अभी खरीदिए, धैर्य से बनाइए — अंतरिम खरीद को स्थानीय निर्माण, तेजस के सुनिश्चित ऑर्डर और एक इंजन मिशन से जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. रक्षा उत्पादन सचिव के रूप में आप लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कैसे तेज़ करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं HAL और इंजन निर्माता के साथ इंजनों और पुर्जों की आपूर्ति पर साप्ताहिक नज़र रखूंगा और देरी पर जुर्माना लागू करूंगा। मैं HAL और उसके आपूर्तिकर्ताओं को पक्के दीर्घकालिक ऑर्डर दूंगा ताकि वे क्षमता में निवेश करें।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — “आज रात ही हिरासत में ले लो”: पुलिस अधिकारी और वह रैली जो अभी हुई ही नहीं

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (8 अक्टूबर) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर, जो प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है, एक विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि आयोजकों ने दस दिन पहले आवेदन नहीं किया था। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि पूर्व के आंदोलनकारियों पर नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें “पहले से ही हिरासत में लेने” के आदेश हैं, और एक पिछले प्रदर्शन में चिह्नित लगभग 2,800 लोगों को चेहरा-पहचान प्रणाली (facial recognition) से खोजा जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी ही स्थिति में पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) हैं। एक शांतिपूर्ण रैली से पहली रात आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे उसके आयोजकों और जाने-पहचाने प्रतिभागियों को हिरासत में लेने को कहते हैं। आपके पास ऐसी कोई विशिष्ट गुप्त सूचना नहीं है कि इनमें से कोई हिंसा की योजना बना रहा है। आयोजक कहते हैं कि वे निर्धारित स्थल और समय का पालन करेंगे, पर एक वरिष्ठ सहकर्मी तर्क देते हैं कि “दंगे की सफ़ाई देने से बेहतर है उन्हें बंद कर देना।”

प्रश्न 1. कौन-से मूल्य आपस में टकरा रहे हैं, और क्या किसी व्यक्ति का पहले किसी प्रदर्शन में शामिल होना उसके खतरनाक होने का प्रमाण माना जा सकता है?

प्रश्न 2. आदेश, आयोजकों और सार्वजनिक व्यवस्था के जोखिम के बारे में आप क्या करेंगे?

प्रश्न 3. निगरानी और पुराने अभिलेखों का उपयोग आप इस तरह कैसे करेंगे कि वे किसी अपराध के होने से पहले ही दंड न बन जाएँ?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- व्यक्ति के प्रति संदेह, उस पर कार्रवाई का आधार नहीं है** — शांतिपूर्ण सभा का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) से संरक्षित है और उस पर केवल सार्वजनिक व्यवस्था जैसे आधारों पर व्यक्तिगत निर्बंधन (अनुच्छेद 19(2) और (3)) लगाए जा सकते हैं। मज़दूर किसान शक्ति संगठन (2018) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विरोध पर लगाए गए निर्बंधन उस अधिकार को विनियमित करें, उसे समाप्त न करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के अंतर्गत निवारक गिरफ्तारी के लिए किसी आशंकित संज्ञेय अपराध का होना आवश्यक है, जिसे “अन्यथा रोका नहीं जा सकता।” वर्तमान सूचना के बिना केवल पहले किसी रैली में उपस्थित रहना इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
- वही न्यूनतम हस्तक्षेप चुनें जो कारगर हो** — पुट्टस्वामी (2017) में स्वीकृत आनुपातिकता का सिद्धांत पूछता है कि क्या कोई कम कठोर कदम पर्याप्त होगा। आयोजकों से मिलिए, संख्या, समय और मार्ग पर सहमति बनाइए, बैरिकेड और चिकित्सा सहायता तैनात कीजिए तथा शर्तें स्पष्ट रूप से प्रकाशित कीजिए। यदि नामित व्यक्तियों के बारे में वास्तविक और विशिष्ट गुप्त सूचना मिलती है, तो केवल उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, कारण लिखित में दर्ज कीजिए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए (अनुच्छेद 22(2))।
- वैध आदेश मानिए, अवैध पर प्रश्न उठाइए और सब कुछ दर्ज कीजिए** — वरिष्ठ का मौखिक आदेश किसी अवैध हिरासत को उचित नहीं ठहराता। लिखित कारण माँगिए, अपनी विधिक आपत्ति पुलिस आयुक्त के सामने रखिए और अभिलेख सुरक्षित रखिए। अधिकारी का कर्तव्य विधि के प्रति है और प्रदर्शनकारियों के उद्देश्य के संबंध में तटस्थता बनाए रखने का भी।
- निष्कर्ष — भरोसा ही सुरक्षा की पूँजी है** — निवारक के नाम पर बड़े पैमाने पर हिरासत उस जन-सहमति को खोखला करती है जिसके बिना पुलिसिंग संभव नहीं। संवाद, स्पष्ट अनुमति-प्रक्रिया और डेटा की सीमाओं के साथ चेहरा-पहचान प्रणाली के अंकेक्षित (audited) उपयोग को प्राथमिकता दीजिए।

प्रकरण 2 — मेरे खंड में अधिकांश लोग क़ानून तोड़ रहे हैं: कृषि अधिकारी और अनुमोदन-रहित कपास बीज

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (8 अक्टूबर) ने उद्योग द्वारा कराए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट दी है, जिसके अनुसार 2025-26 में भारत के कपास क्षेत्र का 24-30% ऐसे संकर बीजों (hybrids) के अंतर्गत था जिनमें अनुमोदन-रहित जीन थे, जिनमें ग्लाइफ़ोसेट सहनशीलता भी शामिल है। भारत में केवल Bt जीन cry1Ac और cry2Ab की अनुमति है। अध्ययन के अनुसार किसानों को ग्लाइफ़ोसेट के छिड़काव पर ₹750-850 प्रति एकड़ खर्च आता है, जबकि हाथ से निराई पर ₹12,000-15,000, और इस बदलाव का कारण श्रमिकों की कमी बताया गया है। अब कल्पना कीजिए कि आप ज़िला कृषि अधिकारी हैं। आपके खंड में अधिकांश कपास किसान अनुमोदन-रहित शाकनाशी-सहनशील बीज बो रहे हैं, क्योंकि निराई के लिए मज़दूर नहीं मिलते। पैकेट स्थानीय बीज विक्रेताओं के ज़रिये आते हैं, जिनका गाँव और पंचायत में प्रभाव है, और वे चेतावनी देते हैं कि बुवाई के समय कार्रवाई से किसान नाराज़ हो जाएंगे। आपके अपने कर्मचारी कहते हैं, “सबको पता है, कोई कार्रवाई नहीं करता।”

प्रश्न 1. बोने वाला किसान अधिक ज़िम्मेदार है या बेचने वाला विक्रेता, और इस प्रश्न का उत्तर क्यों मायने रखता है?

प्रश्न 2. आप तत्काल क्या करेंगे, और किसानों को अवैध बीज की ओर धकेलने वाले कारण को दूर करने के लिए क्या करेंगे?

प्रश्न 3. छोटे किसानों को नुकसान पहुँचाए बिना आप स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव का प्रतिरोध कैसे करेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **क़ानून तोड़ने वाले और विवश व्यक्ति में भेद कीजिए** — आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (genetically modified organisms) के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके 1989 के नियमों के अंतर्गत आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee) का अनुमोदन आवश्यक है। जो किसान मज़दूर नहीं जुटा पाता, वह आवश्यकता से विवश होकर काम करता है, जबकि अनुमोदन-रहित उत्पाद से लाभ कमाने वाला विक्रेता अपनी इच्छा से। प्रवर्तन का निशाना आपूर्ति शृंखला होनी चाहिए, और किसानों के लिए परामर्श तथा समझाइश का रास्ता अपनाना चाहिए।
2. **विक्रेताओं पर विधिसम्मत कार्रवाई कीजिए और ऊपर सूचना दीजिए** — जहाँ आप बीज निरीक्षक के रूप में अधिसूचित हैं, वहाँ दुकानों का निरीक्षण कीजिए, नमूने लेकर उन्हें सील कीजिए, और बीज अधिनियम, 1966 (Seeds Act, 1966) के अंतर्गत लाइसेंस तथा स्टॉक-अभिलेखों की जाँच कीजिए; अनुमोदन-रहित GM बीज के प्रमाण पुलिस और राज्य कृषि विभाग को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के लिए भेजिए। खंड-स्तर की पूरी तस्वीर संयुक्त निदेशक और कलेक्टर को लिखित रूप में दीजिए, क्योंकि स्थानीय आपूर्ति-तंत्र को अकेला अधिकारी नहीं संभाल सकता।
3. **लक्षण के साथ कारण को भी दूर कीजिए** — अनुमोदन-रहित बीज के जोखिमों पर अभियान चलाइए, जैसे फ़सल विफल होने पर कोई विधिक उपचार न मिलना, अवशेष और व्यापार संबंधी चिंताएँ। अनुमोदित विकल्प उपलब्ध कराइए: अंकुरण-पूर्व खरपतवार प्रबंधन की सलाह, पंक्तियों के बीच निराई यंत्रों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र और मशीनीकरण सहायता। श्रमिक-संकट और गुलाबी सूँडी (बॉलवर्म) के प्रति प्रतिरोध की जानकारी राज्य और केंद्र को दीजिए, ताकि नियामक नए गुणों के सुरक्षित परीक्षणों में तेज़ी ला सकें।
4. **निष्कर्ष — निष्ठुरता के बिना दृढ़ता** — लिखित अभिलेख रखिए, निरीक्षण दलों को बदलते रहिए, धमकी मिलने पर पुलिस सुरक्षा माँगिए और आख़ मूँद लेने के हर दबाव को ठुकरा दीजिए। कसौटी यह है कि प्रवर्तन और प्रसार-सवा (extension) के साथ मिलकर काम करने पर किसान पहले से बेहतर स्थिति में हैं या नहीं।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
NBFC-खाता एग्रीगेटर अंतरसंचालनीयता — RBI के 7 अक्टूबर के उपाय	7 अक्टूबर के विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों के वक्तव्य में RBI ने कहा कि वह NBFC-खाता एग्रीगेटरों (Account Aggregators) के बीच अंतरसंचालनीयता सक्षम करेगा और SEBI-विनियमित निक्षेपागार इनके माध्यम से समेकित खाता विवरण (Consolidated Account Statement) में बैंक जमा का डेटा भी शामिल करेंगे; दोनों काम 31 दिसंबर 2026 तक होने हैं (RBI; ET; IE)। खाता एग्रीगेटर RBI द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो उपयोगकर्ता की सहमति से ही उसका वित्तीय डेटा एक संस्था से दूसरी संस्था तक पहुँचाती है, और उस डेटा को स्वयं पढ़ नहीं सकती।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक और RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची	RBI ने 7 अक्टूबर को घोषणा की कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) की दूसरी अनुसूची से बाहर किया जा रहा है (RBI प्रेस विज्ञप्तियाँ)। दूसरी अनुसूची में 'अनुसूचित बैंकों' की सूची है, यानी वे बैंक जो अधिनियम की धारा 42(6) की शर्तें पूरी करते हैं और इसलिए RBI की पुनर्वित्त तथा चलनिधि सुविधाएँ पाते हैं और आरक्षित अपेक्षाओं से बंधे होते हैं। बाहर किए जाने पर यह दर्जा समाप्त हो जाता है। भुगतान बैंक एक विभेदित श्रेणी हैं, जो जमा तो ले सकते हैं पर ऋण नहीं दे सकते।
पंजाब में वार्ड चुनाव रद्द — राज्य निर्वाचन आयोग और न्यायालयों पर रोक	उच्चतम न्यायालय ने (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ) स्थानीय निकायों के 50 वार्डों के चुनाव रद्द कर दिए, जिनमें पटियाला के 28 और मोगा के 22 वार्ड हैं; न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग ने पाया कि नामांकन-पत्र छिने या फाड़े गए थे। न्यायालय ने छह सप्ताह के भीतर नए सिरे से मतदान का आदेश दिया (IE)। अनुच्छेद 243K और 243ZA राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत तथा नगरपालिका चुनावों का अधीक्षण सौंपते हैं; अनुच्छेद 243O और 243ZG न्यायालयों को निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन की वैधता पर प्रश्न उठाते से रोकते हैं और चुनाव-विवादों को निर्वाचन याचिका के रास्ते ही आने की अपेक्षा रखते हैं। न्यायालय ने अपने ही नियुक्त आयोग के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 — चयन समिति और वापसी (recall) की याचिका	मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक वापसी-आवेदन 2023 के नियुक्ति-कानून की संवैधानिक चुनौती पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा के 23 सितंबर के विभाजित निर्णय को चुनौती देता है (ET; द हिंदू)। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में दिए निर्देश के अनुसार चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था, जिसकी जगह इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को रख दिया, इसलिए समिति में प्रधानमंत्री, वह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं (IE)। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि नियुक्तियाँ संसद द्वारा बनाई गई विधि 'के अधीन' होंगी।
SIR अपीलीय अधिकरण — मतदाता सूची से नाम हटने के बाद का उपचार	पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए मतदाता उन अपीलीय अधिकरणों में अपील करते हैं जो मार्च में उच्चतम न्यायालय की देखरेख में बनाए गए और जिनमें न्यायिक अधिकारी नियुक्त हैं; कुल 19 अधिकरणों में से 16 कार्यरत हैं (द हिंदू)। ECI सूत्रों के अनुसार फॉर्म 6 से नामांकन का विशेष अभियान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जो इन अधिकरणों में लंबित हैं। 'ASDD' का अर्थ है अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराया गया (absent, shifted, dead or duplicate)। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों का अधीक्षण देता है और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है।
प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 — भारतीय प्रेस परिषद की संरचना	7 अक्टूबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के 13 पत्रकार सदस्यों को अधिसूचित किया, जिनमें छह समाचार-पत्रों के संपादक और संपादकों के अलावा सात कार्यरत पत्रकार हैं (IE)। परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है; अब तक 28 में से केवल 14 की नियुक्ति हुई थी, जिनमें पाँच सांसद और तीन मनोनीत सदस्य शामिल हैं। यह एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखता है। यह चेतावनी या भर्त्सना कर सकती है, पर दंड देने की शक्ति इसके पास नहीं है।
ओडिशा का SEBC आयोग — स्थानीय निकायों में आरक्षण की 'तिहरी कसौटी'	ओडिशा ने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित किया है, जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Classes) की संख्यात्मक शक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा (द हिंदू)। यह स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण की उस 'तिहरी कसौटी' (triple test) के उत्तर में है जो के. कृष्णमूर्ति (2010) और विकास किशनराव गवली (2021) में तथ्य हैं: अनुभवजन्य जाँच के लिए समर्पित आयोग गठित करना, प्रत्येक निकाय में सीटों का अनुपात निर्दिष्ट करना, और SC, ST तथा OBC का कुल आरक्षण 50% के भीतर रखना। अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा आरक्षण की अनुमति देते हैं।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
उपग्रह स्पेक्ट्रम — दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रशासनिक आवंटन	स्टारलिनक के पास GMPCS (उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल निजी संचार, Global Mobile Personal Communication by Satellite) का प्राधिकार है, पर वह सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण की प्रतीक्षा में है; दूरसंचार कंपनियाँ नीलामी चाहती हैं, और रिलायंस जियो प्रशासनिक आवंटन के विरुद्ध 2012 के 2G निर्णय का हवाला देती है (द हिंदू; ET)। दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) उन सेवाओं में उपग्रह सेवाओं को गिनता है जिनके लिए स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रूप से दिया जाता है (प्रथम अनुसूची)। 2012 के राष्ट्रपति संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की एकमात्र संवैधानिक रूप से स्वीकार्य पद्धति नीलामी नहीं है।
FCRA पंजीकरण और धर्मांतरण — मद्रास उच्च न्यायालय	मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) की खंडपीठ ने कहा कि धर्मांतरण में लगे धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010) के अंतर्गत पंजीकरण नहीं दिया जा सकता; साथ ही उसने एक ज़ेन ध्यान न्यास की अपील खारिज कर दी, जिसे 'धार्मिक प्रकृति का' मानकर पंजीकरण देने से मना कर दिया गया था (द हिंदू)। यह अधिनियम, जिसे गृह मंत्रालय लागू करता है, विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति अनिवार्य करता है, और FCRA नियम, 2011 का नियम 9 आवेदक से फॉर्म FC-3A में अपने कार्य की प्रकृति बताने को कहता है। अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन हैं।
UCIL — ताँबा खदान के अवशेष से यूरेनियम	झारखंड के जादूगोड़ा में मुख्यालय वाला यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (UCIL) चार नई परियोजनाओं के जरिये 2036 तक यूरेनियम उत्पादन दोगुना करने की योजना बना रहा है, और 2029-30 से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान के अवशेष से यूरेनियम निकालेगा; HCL लगभग 5% अयस्क को ताँबे के रूप में निकालता है और बाकी का लगभग 10% UCIL निकालेगा (द हिंदू)। UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। भारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम प्राकृतिक यूरेनियम से प्लूटोनियम और फिर थोरियम-आधारित ईंधन की ओर बढ़ता है।
TTAADC — छठी अनुसूची और त्रिपुरा में ग्राम समिति चुनाव	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (TTAADC) के ग्राम समिति चुनावों में टिपरा मोथा को जीत मिली, और उसके संस्थापक ने इसके बाद सक्रिय राजनीति छोड़ने की घोषणा की (द हिंदू)। स्वायत्त ज़िला परिषदें छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। परिषद भूमि, वन और ग्राम प्रशासन पर राज्यपाल की अनुमति से कानून बना सकती है और कुछ कर वसूलती है। त्रिपुरा की परिषद को 49वें संशोधन, 1984 द्वारा छठी अनुसूची के अंतर्गत लाया गया।
बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग के लिए MeitY की SOP	उच्चतम न्यायालय द्वारा 24 सितंबर को केंद्र को अंतिम रूप से दो सप्ताह देने के बाद MeitY बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) की रिपोर्टिंग के लिए उपयोगकर्ताओं हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) तैयार कर रहा है, जो नवंबर 2025 की उस SOP के आधार पर बन रही है जो बिना सहमति की अंतरंग तस्वीरों के लिए थी (ET)। इसका सांविधिक आधार यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) है, जो बालक के विरुद्ध यौन अपराध की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति पर रिपोर्ट करने का दायित्व डालता है (धारा 19), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B, जो बाल यौन शोषण सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है।
लखपति दीदी — स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए DAY-NRLM का लक्ष्य	2023 में शुरू की गई लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को कम-से-कम ₹1 लाख की टिकाऊ वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सहायता देना है; यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का परिणाम है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का आजीविका संबंधी प्रमुख कार्यक्रम है (ET)। IIM अहमदाबाद का एक अध्ययन आय और बचत में वृद्धि बताता है। NRLM 2011 में शुरू हुआ था और स्वयं सहायता समूहों तथा SHG-बैंक संबंध पर आधारित है।
घाना की BRICS दावेदारी — निर्णय सर्वसम्मति से	घाना के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति महामा के मंत्रिमंडल ने तय किया है कि घाना BRICS में शामिल होगा; अक्रा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत 'बहुत सहानुभूतिपूर्ण और समर्थक' है, पर प्रवेश 'समूह के सामूहिक विचार का विषय' है (ET)। BRICS सदस्यों की आम सहमति से निर्णय लेता है। 2024 के कज़ान शिखर सम्मेलन में उसने पूर्ण सदस्यता से कम 'साझेदार देशों' की एक श्रेणी भी बनाई।
भारत-यूरोपीय संघ हरित नौवहन गलियारा — सागर मंथन में शुभारंभ	भारत-यूरोपीय संघ हरित नौवहन गलियारे (Green Shipping Corridor) के लिए एक उद्योग गठबंधन का शुभारंभ सागर मंथन 2026 में हुआ, जो वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण है; भारतीय बंदरगाहों का लक्ष्य अपनी ऊर्जा खपत में नवीकरणीय हिस्सेदारी 2030 तक 60% से अधिक और 2047 तक 90% से अधिक करना है (ET)। हरित नौवहन गलियारा एक विशिष्ट समुद्री मार्ग है जिस पर शून्य या कम उत्सर्जन वाले जहाज़ और ईंधन प्रयोग किए जाते हैं; यह विचार 2021 में COP26 के क्लाइडबैंक घोषणापत्र (Clydebank Declaration) के साथ आकार में आया। जहाज़ों के उत्सर्जन का विनियमन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization) करता है।
यूरिया की स्थायी लागत की समीक्षा — सांविधिक रूप से तय मूल्य और भुगतान का सूत्र	सरकार भारत के 27 घरेलू यूरिया निर्माताओं को भुगतान के लिए प्रयुक्त स्थायी लागत घटक की समीक्षा हेतु एक उप-समिति बना रही है; यह सूत्र 2002-03 से चला आ रहा है (ET)। यूरिया एकमात्र प्रमुख उर्वरक है जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार तय करती है, और उस मूल्य तथा उत्पादन लागत के अंतर को,

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	जिसमें स्थायी लागत भी शामिल है, सब्सिडी से पूरा किया जाता है; अन्य उर्वरक पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (Nutrient Based Subsidy) के अंतर्गत हैं। सब्सिडी का प्रशासन उर्वरक विभाग करता है।
मेप्को इंडस्ट्रीज़ बनाम CIT — सब्सिडी के लिए 'प्रयोजन कसौटी'	7 अक्टूबर को तय मेप्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम CIT में उच्चतम न्यायालय (न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर) ने कहा कि पुडुचेरी की बिजली-शुल्क सब्सिडी कर योग्य राजस्व प्राप्ति थी (LiveLaw; ET)। सहनी स्टील एंड प्रेस वर्क्स बनाम CIT (1997) से ली गई 'प्रयोजन कसौटी' (purpose test) पूछती है कि सब्सिडी किस प्रयोजन से दी गई: यदि वह पूंजीगत परिसंपत्ति बनाने या बढ़ाने में सहायक है तो पूंजीगत प्राप्ति है, पर यदि वह बिजली-शुल्क जैसे चालू खर्चों में सहायता करती है तो आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति है।
सीमेंट — क्लिंकर कारक और अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में 95% से अधिक क्लिंकर होता है, जो जिप्सम के साथ मिलाया जाता है; पोर्टलैंड पोझोलाना सीमेंट में फ्लाई ऐश के साथ 65-80% क्लिंकर और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में दानेदार स्लैग के साथ 35-64% क्लिंकर होता है (द हिंदू)। क्लिंकर कारक (clinker factor) सीमेंट में क्लिंकर का हिस्सा है, और इसे घटाना उत्सर्जन कम करने का एक उपाय है क्योंकि क्लिंकर चूना-पत्थर को गर्म करके बनता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नीति आयोग का एक कार्बन-मुक्ति रोडमैप भट्टियों में कोयले की जगह अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (refuse-derived fuel, RDF), यानी संसाधित कचरे, पर भी निर्भर करता है।
कुष्ठ रोग — SDR-PEP, संपर्क में आए लोगों के लिए निवारक खुराक	एकल-खुराक रिफैम्पिसिन पश्च-संपर्क रोगनिरोधी (Single-Dose Rifampicin Post-Exposure Prophylaxis, SDR-PEP) कुष्ठ रोगी के संपर्क में आए लोगों को दी जाने वाली निवारक खुराक है; कार्यक्रम वर्ष 2025-26 में पात्र 16.94 लाख संपर्कों में से 91.2% को यह दी गई (द हिंदू)। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) से होता है और इसका उपचार बहु-औषधि चिकित्सा से होता है। भारत ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 2005 में कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त (प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम मामला) घोषित किया था।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 8 अक्टूबर 2026 से ली गई हैं, जहां संकेतित हैं वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरा तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1 (15 अंक, 250 शब्द)

“मौद्रिक नीति आपूर्ति-आघात का इलाज नहीं कर सकती, पर उसे फैलने से रोक सकती है।” RBI की ताज़ा नीति के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भूमिका — आज की महँगाई मुख्यतः आपूर्ति-जनित है: पश्चिम एशिया युद्ध में कच्चा तेल 100 डॉलर से ऊपर, कमज़ोर मानसून और अल नीनो। फिर भी 7 अक्टूबर को मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की, फ़रवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि, और रुख “अंशांकित सख्ती” किया।

- 1. दर-वृद्धि न तेल सस्ता कर सकती है, न बारिश ला सकती है** — रेपो दर ऋण के रास्ते माँग को प्रभावित करती है; उससे न तेल बढ़ता है, न फ़सल। विशुद्ध आपूर्ति-आघात में सख्ती केवल वृद्धि घटाती है; दो सदस्य तटस्थ रुख चाहते थे।
- 2. पर वह आघात को सामान्य महँगाई बनने से रोक सकती है** — 4% से तेज़ बढ़ने वाली CPI मई जनवरी के 65 से अगस्त में 110 हुई। पहली तिमाही की 7.8% वृद्धि में मज़बूत माँग फ़र्मों को लागत थोपने और कामगारों को ऊँची मज़दूरी माँगने देती है। जल्दी क़दम से RBI अधिनियम की धारा 45ZA के 4% लक्ष्य पर अपेक्षाएँ टिकती हैं।
- 3. बाहरी दबाव तर्क को मज़बूत करता है** — भारत-अमेरिका दस-वर्षीय बॉन्ड अंतर 400 आधार अंक से घटकर लगभग 200 रह गया है। पूँजी निकलती है, रुपया कमज़ोर और आयात महँगा होता है; वृद्धि आयातित महँगाई से भी बचाती है।
- 4. फिर भी सरकार के आपूर्ति-उपाय अधिक तेज़ हैं** — ईंधन कर और खाद्य भंडार सीधे कीमतों पर असर डालते हैं। बढ़ी EMI का बोझ छोटे कर्जदारों और MSME पर पड़ता है, जिन्होंने आघात नहीं रचा।

निष्कर्ष — कथन काफ़ी हद तक सही है: वृद्धि दूसरे चरण का उपचार करती है, पहले का नहीं। यूक्रेन आघात के बाद पिछड़े RBI का जल्दी क़दम उचित है। आगे की राह: साथ में ईंधन और खाद्य का राजकोषीय प्रबंधन।

यह बनाइए: दूसरे बिंदु के बगल में प्रवाह-चित्र: तेल और मानसून का आघात → शीर्ष CPI → महँगाई की अपेक्षाएँ → कोर CPI → रेपो दर-वृद्धि, जिसमें वृद्धि को “अपेक्षाएँ” वाले तीर को काटते दिखाया जाए।

(264 शब्द)

11.2 GS1 कोना — भूगोल: अल नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव और भारतीय मानसून

आज का संदर्भ: 2.1

- 1. अल नीनो प्रशांत की उठती हवा को भारत से दूर खिसका देता है** — अल नीनो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत का असामान्य रूप से गर्म होना है; वायुदाब के संबद्ध उतार-चढ़ाव, यानी दक्षिणी दोलन, के साथ इसे ENSO कहते हैं। यह वाँकर परिसंचरण को कमज़ोर करता है, जिससे उठती हवा और वर्षा प्रशांत में पूर्व की ओर खिसक जाती है, और भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रायः कमज़ोर पड़ता है।
- 2. संबंध प्रबल है, पर निश्चित नहीं** — 2009 जैसे भारत के कई सूखे अल नीनो वर्षों में पड़े, फिर भी 1997 के प्रबल अल नीनो में मानसून लगभग सामान्य रहा। धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole), यानी पश्चिमी हिंद महासागर का अधिक गर्म होना, अल नीनो के नकारात्मक असर की भरपाई कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- ला नीना ENSO की ठंडी अवस्था है और सामान्यतः भारत के अधिक सशक्त मानसून से जुड़ी है।
- दक्षिणी दोलन को ताहिती और डार्विन के बीच समुद्र-तल वायुदाब के अंतर से मापा जाता है।
- धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव में पश्चिमी हिंद महासागर, इंडोनेशिया के निकट के पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होता है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
कावेरी बेसिन (Cauvery basin)	कर्नाटक के कोडगु की ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से निकलती है; तमिलनाडु से होकर दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है; केरल और पुडुचेरी भी इसके हिस्सेदार हैं।	कर्नाटक ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि 35% वर्षा-कमी के बाद वह 2018 के आवंटन पर पुनर्विचार माँग सकता है (1.1)।	कावेरी की सहायक नदी कबिनी केरल के वायनाड में निकलती है; पुडुचेरी का हिस्सा उसके कराईकल क्षेत्र के लिए है।
जंतर मंतर, नई दिल्ली (Jantar)	मध्य नई दिल्ली में कर्नाट प्लेस के पास संसद मार्ग पर; राजधानी का निर्विष्ट धरना-स्थल।	दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर की रैली की अनुमति नहीं दी;	यह सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई खगोलीय

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
Mantar)		जुलाई से वहाँ किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है (1.2)।	वेधशालाओं में से एक है; जयपुर की वेधशाला UNESCO विश्व धरोहर स्थल है।
पाक खाड़ी (Palk Bay)	तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के बीच; रामेश्वरम और आदम सेतु इसे दक्षिण में मन्नार की खाड़ी से अलग करते हैं।	यहाँ भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिज़र्व, 448.34 वर्ग किमी, है; अनुमानित 270 डुगोंग में से 158 यहाँ रहते हैं (5.1; TH p6)।	डुगोंग समुद्री घास चरते हैं और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची I में हैं।
तेलंगाना (Telangana)	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से घिरा दक्कन का राज्य; गोदावरी और कृष्णा इससे होकर बहती हैं।	जाँचे गए 88.64% कपास नमूनों में ग्लाइफोसेट-सहिष्णुता का जीन मिला (3.1)।	कपास दक्कन की नमी सँजोने वाली काली (रेगुर) मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, जो बेसाल्ट से बनी है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): अनुपातिकता (Proportionality)

अर्थ — अधिकार पर कोई सीमा तभी उचित है जब वह वैध उद्देश्य की पूर्ति करे, उस उद्देश्य के अनुकूल हो, उपलब्ध साधनों में सबसे कम हस्तक्षेपकारी हो और हानि से अधिक लाभ पहुँचाए। अधिकारी को वही सबसे छोटा क्रदम चुनना चाहिए जो काम कर दे।

आज के समाचार में — केस 1 (1.2): शांतिपूर्ण रैली की पूर्व-रात्रि “पुराने आंदोलनकारियों” को हिरासत में लेना इस कसौटी पर विफल है, जबकि बातचीत, शर्तें और बैरिकेड पर्याप्त होते। 8.1 में सीढ़ियाँ चढ़ सकने वाले नेत्रहीन यात्री को व्हीलचेयर में बैठाना भी इसी पर विफल है।

उत्तर में उपयोग — लोक-व्यवस्था और अधिकारों की दुविधाओं में: विकल्प तौलते समय इसका नाम लें, फिर सबसे कम हस्तक्षेपकारी विकल्प का औचित्य बताएँ।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

हर शब्द ऋतु में विज्ञान के पुरस्कार एक पुरानी आदत को ताज़ा कर देते हैं: हम खोज की कहानी को मुट्ठी भर प्रतिभाशाली लोगों की कहानी के रूप में सुनाते हैं। यह आदत समझ में आती है, क्योंकि एक नाम जनता को सराहने के लिए कोई चेहरा दे देता है। पर आज के विज्ञान का बड़ा हिस्सा जहाँ होता है, वे जगहें इस तस्वीर से बहुत अलग दिखती हैं।

बर्फ में गड़ा कोई संसूचक, महाद्वीपों में फैली कोई दूरबीन या कोई कण-त्वरक सैकड़ों लोग बरसों में बनाते हैं। अभियंता ऐसे उपकरण रचते हैं जिन पर उनका नाम कभी नहीं लिखा जाएगा, तकनीशियन लंबी सदियों में उन्हें चालू रखते हैं, और युवा शोधार्थी वह सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो संकेत को शोर से अलग करता है। जिसने विचार पहले सुझाया, उसका महत्त्व है; पर बाक़ी लोगों के बिना वह विचार प्रस्ताव ही रह जाता।

जब पुरस्कार केवल शिखर के चंद लोगों को मिलते हैं, तो बाक़ी बहुत-से लोग चुपचाप सीख लेते हैं कि किसकी कद्र होती है। योग्य विद्यार्थी साझा परियोजनाओं से बच सकते हैं, जहाँ श्रेय पतला बँटता है, और ऐसा संकीर्ण काम चुन सकते हैं जिस पर वे अकेले दावा कर सकें। समय के साथ यह उन्हीं सहयोगों को भूखा रख सकता है जो सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं।

इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्तिगत प्रतिभा को मान्यता न मिले। बड़ी टोलियाँ भी उन लोगों पर निर्भर हैं जो औरों से आगे देख लेते हैं, और कोई प्रसिद्ध पुरस्कार किसी बच्चे को विज्ञान की ओर खींच सकता है। मुद्दा यह है कि मान्यता उसी ढंग से मिले जिस ढंग से ज्ञान सचमुच रचा जाता है। टोलियों को सम्मानित कर सकने वाले पुरस्कार, हर योगदानकर्ता का नाम देने वाले शोध-पत्र और साझा काम को गिनने वाली कैरियर-प्रणालियाँ कम लागत में जनता की तस्वीर को ईमानदार रख सकती हैं।

अपनी शोध-व्यवस्था खड़ी करने वाला देश यह चुनाव आरंभ में ही करता है। यदि वह वैज्ञानिकों को केवल इस आधार पर आँक कि उनके पास क्या अपना है, तो उसे बहुत-से मालिक मिलेंगे और बहुत कम निर्माता।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है ?

- विज्ञान के पुरस्कार समाप्त कर देने चाहिए क्योंकि वे शोध को विकृत करते हैं।
- विज्ञान में मान्यता उस सहयोगात्मक ढंग को प्रतिबिंबित करे जिससे आज का अधिकांश शोध किया जाता है।
- आधुनिक खोजों में व्यक्तिगत वैज्ञानिकों का योगदान बहुत कम होता है।
- बड़े वैज्ञानिक उपकरण विकासशील देशों के लिए बहुत महंगे हैं।

Q2. यह कथन कि योग्य विद्यार्थी साझा परियोजनाओं से बच सकते हैं, इस मान्यता पर आधारित है कि

- साझा परियोजनाएँ व्यक्तिगत कार्य से कम महत्त्वपूर्ण हैं।
- विद्यार्थियों के काम के चुनाव पर इस बात का असर पड़ता है कि श्रेय कैसे बँटता है।
- विद्यार्थी दल में काम करने में कुशल नहीं होते।
- बड़ी परियोजनाएँ सदैव परिणाम देने में विफल रहती हैं।

Q3. गद्यांश से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

- (a) किसी प्रसिद्ध पुरस्कार का जनता के लिए कोई मूल्य नहीं होता।
- (b) अभियंताओं और तकनीशियनों के नाम सामान्यतः नोबेल पुरस्कारों में दर्ज होते हैं।
- (c) लेखक ऐसे शोध-मूल्यांकन का समर्थन करेगा जो टोली-परियोजनाओं में योगदान को महत्व दे।
- (d) विज्ञान के अधिकांश महत्वपूर्ण प्रश्न अकेले काम करने वाले व्यक्ति हल कर सकते हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. एक कर्जदार पर ₹4,00,000 बकाया है। वार्षिक ब्याज दर 8% से बढ़कर 8.25% हो जाती है। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना बढ़ जाएगा?

- (a) ₹100
- (b) ₹1,000
- (c) ₹2,500
- (d) ₹10,000

Q5. एक पायलट 30 किमी उत्तर में उड़ता है, दाएँ मुड़कर 40 किमी उड़ता है, फिर दोबारा दाएँ मुड़कर 60 किमी उड़ता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है?

- (a) 50 किमी दक्षिण-पूर्व
- (b) 50 किमी उत्तर-पूर्व
- (c) 70 किमी दक्षिण-पूर्व
- (d) 30 किमी दक्षिण

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) मान्यता उसी तरह मिलनी चाहिए जैसे ज्ञान रचा जाता है; विकल्प 0 इसलिए ग़लत है कि चौथा अनुच्छेद व्यक्तिगत पुरस्कारों का बचाव करता है।

Q2: (b) उस काम से बचना “जहाँ श्रेय पतला बँटता है” यह मानकर चलता है कि श्रेय चुनाव को आकार देता है; विकल्प 0 गद्यांश के विपरीत है।

Q3: (c) लेखक ऐसी कैरियर-प्रणालियाँ चाहता है जो “साझा काम को गिनें”; विकल्प 0 चौथे अनुच्छेद के विपरीत है।

Q4: (b) वृद्धि = ₹4,00,000 का 0.25% = $4,00,000 \times 0.25 \div 100 = ₹1,000$ ।

Q5: (a) उत्तर 30, फिर दाएँ = पूर्व 40, फिर दाएँ = दक्षिण 60। परिणाम: 30 किमी दक्षिण और 40 किमी पूर्व; दूरी = $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ किमी, दक्षिण-पूर्व में।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड B • 7 मिनट पठन (min read)

हस्तता: छोटी असमानताएँ, धैर्य से बढ़ाई जाएँ तो, बड़े परिणाम तय करती हैं।

विषय (Themes): विज्ञान, प्रकृति और अर्थव्यवस्था में छोटे झुकाव और चक्रवृद्धि • नीति: किन असमानताओं को बढ़ाना है, इसका धैर्यपूर्ण चयन • चक्रवृद्धि का स्याह पक्ष: विषमता, फैलती हानि और छोटे क्रदमों की सीमाएँ

मैं मानता था कि तैयारी बड़े दिनों से तय होती है: पूरा मॉक टेस्ट, रविवार का लंबा पुनरावर्तन। मेरे अंक कुछ और कहानी कहते थे। आगे वे विद्यार्थी निकले जिनके कुछ सप्ताह वीरतापूर्ण नहीं थे, बल्कि जो रोज़ चालीस मिनट अधिक पढ़ते थे, हर शाम एक उत्तर लिखते थे और अगली सुबह उसे सुधारते थे। किसी एक दिन हमारे बीच का अंतर नगण्य था और साल भर बाद विशाल। इस निबंध का तर्क है कि प्रकृति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रों में बड़े परिणाम प्रायः बड़ी शक्तियों से नहीं, बल्कि धैर्य से बढ़ाई गई छोटी असमानताओं से तय होते हैं। यह नियम दोधारी भी है, इसलिए नागरिक, वैज्ञानिक या राज्य का असली कौशल यह चुनना है कि किन छोटे झुकावों को पोसना है और किन्हें समय रहते रोक देना है।

प्रकृति स्वयं अपनी जड़ में एकतरफ़ा है। अनेक अणु दो दर्पण-प्रतिबिंब रूपों में मिलते हैं, जैसे बायाँ और दायाँ हाथ: परमाणु वही, आबंध वही, फिर भी एक को दूसरे पर टिकाया नहीं जा सकता। 1848 में लुई पाश्चर ने एक टार्ट्रेट लवण के सूक्ष्म क्रिस्टलों को चिमटी से दो दर्पण-प्रतिबिंब समूहों में छाँटा और पाया कि उनके विलयन ध्रुवित प्रकाश को विपरीत दिशाओं में घुमाते हैं। जीवन ने एक हाथ चुन लिया। हमारी प्रोटीनों के अमीनो अम्ल लगभग सब एक ही रूप के हैं, इसलिए हमारे एंजाइम और ग्राही भी काइरल (chiral) हैं। यही कारण है कि किसी औषधि के दो रूप बहुत भिन्न ढंग से असर कर सकते हैं, और यह सबक दुनिया ने थैलिडोमाइड से भारी कीमत देकर सीखा: 1950 के दशक के अंत की यह नींद की दवा 46 देशों में बच्चों में जन्म-दोष का कारण बनी।

इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल उन दो वैज्ञानिकों को मिला है जिन्होंने दिखाया कि छोटा झुकाव कैसे बड़ा बन जाता है। 1986 में हेनरी कगन (Henri Kagan) की टीम ने पाया कि एक ही हाथ की ओर थोड़ा-सा झुका उत्प्रेरक उत्पाद को अपेक्षा से कहीं अधिक झुका सकता है। लगभग एक दशक बाद केनसो सोई (Kenso Soai) ने ऐसी अभिक्रिया खोजी जिसमें काइरल उत्पाद स्वयं और अधिक उत्पाद का उत्प्रेरण करता है और अंत में एक रूप का 99.5 प्रतिशत बच जाता है। एक नन्हा असंतुलन, स्वयं की प्रतिलिपि बनाते-बनाते, बर्फ़ के गोले की तरह लगभग शुद्धता तक पहुँच जाता है। जीवन की एकहस्तता का यह एक संभावित मार्ग है, प्रमाण नहीं, और इससे वांछित रूप में दवाएँ सीधे बनाना सस्ता हुआ है। मौसम-विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंज़ (Edward Lorenz) दूसरी ओर से ऐसी ही समझ तक पहुँचे, जब 1972 के एक व्याख्यान में उन्होंने पूछा कि क्या ब्राज़ील में तितली के पंखों की फड़फड़ाहट टेक्सास में तूफ़ान खड़ा कर सकती है: कुछ तंत्रों में आरंभ के नन्हे अंतर पूरा मार्ग तय कर देते हैं।

अर्थव्यवस्था भी इसी नियम पर चलती है। 7 अक्टूबर को मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर केवल 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत की। संख्या छोटी है; रख का “अंशांकित सख्ती” (calibrated tightening) हो जाना छोटी बात नहीं, क्योंकि वह हर ऋणदाता और ऋणी को बता देता है कि दिशा बदल गई है, और बाज़ार अगला निर्णय होने से पहले ही समायोजित हो जाते हैं। महँगाई भी ऐसे ही काम करती है। लक्ष्य से आधा प्रतिशत ऊपर की मूल्य-वृद्धि एक महीने में निरापद दिखती है, पर जैसे ही मज़दूर, व्यापारी और मकान-मालिक उसकी अपेक्षा करने लगते हैं, वह मज़दूरी की माँगों, किरायों और अनुबंधों में चक्रवृद्धि होकर जम जाती है और उसे हटाना कहीं महँगा पड़ता है। जो केंद्रीय बैंक समय रहते छोटा क्रदम उठाता है, वह प्रायः देश को बाद के बड़े और कष्टदायक क्रदम से बचा लेता है।

पारिस्थितिकी सबसे आशाजनक उदाहरण देती है। जीवित ग्रह रिपोर्ट 2026 (Living Planet Report 2026) के अनुसार निगरानी वाली कशेरुकी आबादियाँ 1970 से औसतन 73 प्रतिशत घटी हैं। फिर भी उसी सप्ताह हमें पता चला कि नीलगिरि तहर एक वर्ष में 1,303 से बढ़कर 1,364 हो गए, मध्य प्रदेश में 2019 के 8,397 के मुकाबले 2025 में 12,981 गिद्ध गिने गए, और जंगली बाघ 2010 के लगभग 3,200 से 2025 में लगभग 5,700 हो गए। इकसठ और तहर कोई बड़ी संख्या नहीं। पर जो आबादी हर साल थोड़ा जोड़ती है, और जिसे क्रानून, मैदानी कर्मचारी और धैर्यवान बजट सुरक्षा देते हैं, वह बैंक की बचत की तरह चक्रवृद्धि होती है। वापसी शायद ही कभी नाटकीय बचाव होती है; वह दशकों तक टिके रहने वाला जन्म-दर के मृत्यु-दर से कुछ ऊपर रहने का अधिशेष है। कबीर ने यही बात माली के शब्दों में कही: “धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय॥” मन, धीरज रख, सब कुछ अपने समय पर होता है; माली सौ घड़े पानी भी दे दे, फल तो ऋतु आने पर ही लगता है।

इतिहास दिखाता है कि राजनीतिक साहस के बारे में भी यही सच है। जब गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती से चले और 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून तोड़ा, तो कृत्य स्वयं नन्हा था: समुद्र-तट से उठाई गई मुट्ठी भर नमक। पर वह ठीक वहाँ रखा गया झुकाव था जहाँ उसकी नक़ल हो सकती थी। समुद्र के किनारे का हर गाँव उसे दोहरा सकता था, और हर दोहराव अगले को आसान बनाता था। जो साम्राज्य किसी एक महा-विद्रोह से बच सकता था, उसे लाखों छोटे कृत्यों का उत्तर देना कहीं कठिन लगा।

प्रतिपक्ष को पूरी सुनवाई मिलनी चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि का कोई विवेक नहीं होता। समाजशास्त्री रॉबर्ट के. मर्टन (Robert K. Merton) ने विज्ञान में एक “मैथ्यू प्रभाव” (Matthew effect) बताया: समान काम के लिए प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को अज्ञात वैज्ञानिकों से अधिक श्रेय मिलता है, इसलिए आरंभ के छोटे लाभ बड़ी विषमताओं में बदल जाते हैं। यही धन, विद्यालयों और नगरों के साथ होता है। हानि भी चक्रवृद्धि होती है। आज का अध्ययन अनुमान लगाता है कि भारत के कपास-क्षेत्र का 24 से 30 प्रतिशत ऐसे शाकनाशी-सह बीज पर है जिसे कभी स्वीकृति नहीं मिली, जबकि वैध बीटी बीज की बिक्री 596 लाख पैकेट से घटकर 463 लाख रह गई। यह राष्ट्रीय संकट के रूप में शुरू नहीं हुआ; यह कुछ किसानों द्वारा निराई में कुछ हज़ार रुपये बचाने से शुरू हुआ, और इसलिए फैला कि हर खेत ने अगले खेत की संभावना बढ़ा दी। दूसरी आपत्ति भी उतनी ही गंभीर है: छोटे क़दमों का गुणगान बड़े क़दमों से बचने का बहाना बन सकता है। कोई भी रोज़ का अनुशासन सिंचाई-नहर, भूमि-अभिलेख या लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बन सकता, जिन्हें देश को एक झटके में बनाने का निर्णय लेना होता है।

ये आपत्तियाँ तर्क का खंडन नहीं करतीं, उसे पूरा करती हैं। चूँकि छोटे झुकाव बड़े परिणाम तय करते हैं, इसलिए शासन बहुत हद तक उन्हें सोच-समझकर रखने की कला है। अच्छी नीति सही दिशा में एक छोटा, स्थायी झुकाव बनाती है: एक ऐसी पूर्व-निर्धारित व्यवस्था जो हर बच्चे को विद्यालय में दर्ज करे, एक मामूली पर निश्चित दंड जो धोखाधड़ी को अलाभकारी बना दे, एक स्थिर बजट-पंक्ति जिससे वनरक्षक दस वर्ष तक अपने पद पर रह सके। वह हानिकारक बर्फ़ के गोले पर भी नज़र रखती है, जब तक वह छोटा है। नई बीज-विशेषताओं की समयबद्ध वैज्ञानिक समीक्षा और ईमानदार क्षेत्र-सर्वेक्षण अवैध प्रसार को तब पकड़ लेते जब वह राष्ट्रीय नहीं, केवल एक ज़िले की समस्या थी। और छोटे क़दम तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे स्पष्टता से लिए गए किसी बड़े निर्णय की सेवा करें, जैसे हर वर्ष का स्थिर ऑर्डर-बुक भारतीय विमान-इंजन बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य की सेवा करता है।

मैं अपनी पढ़ाई की मेज़ पर लौटता हूँ। मैं कल के दिन में दस घंटे नहीं जोड़ सकता, पर चालीस मिनट जोड़ सकता हूँ, और यह चुन सकता हूँ कि वे मिनट चक्रवृद्धि होकर क्या बनेंगे। रसायनज्ञ के फ़्लास्क, केंद्रीय बैंक के चौथाई अंक और पश्चिमी घाट की चट्टान पर खड़े तहर का यही मौन सबक है। दुनिया अपनी जड़ में एकतरफ़ा है; छोटी असमानताएँ हमारे भविष्य को गढ़ेंगी या नहीं, यह हम नहीं चुनते। हम केवल यह चुनते हैं कि किन्हें पोसें, ग़लत असमानताओं को कितनी जल्दी पहचानें, और फल की ऋतु तक प्रतीक्षा करने का धैर्य रखते हैं या नहीं।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):